सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
श्री कमलेश्वर पटेल
मंत्री, पंचायत एवं
ग्रामीण विकास

प्रबंध सम्पादक
संदीप यादव

समन्वय
मध्यप्रदेश माध्यम

परामर्श
प्रद्युम्न शर्मा

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क :
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

5 ▸ प्रदेश के नागरिक ही सरकार की शक्ति
8 ▸ कम समय में किये गये ऐतिहासिक निर्णय : प्रदेश के नागरिकों को संदेश

11 ▸ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने किया ध्वजारोहण
12 ▸ गाँधी जयंती से ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए जन-अभियान

13 ▸ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण : सबको आवास के लिए नवाचारों का सामूहिक संकल्प
18 ▸ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण : मध्यप्रदेश में किये किये नवाचार और विशेष कार्य
19 ▸ छह राज्यों के प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश के नवाचारों को प्रत्यक्ष देखा
21 ▸ पांच चरणों में राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण : पुरुषों के अलावा महिलाओं ने भी दिखाई सहभागिता

23 ▸ राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण : आरोन जनपद ने किये नवाचार

26 ▸ मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की पहल पर : प्रदेश में बनेंगी 100 हाईटेक गौ-शालाएँ
27 ▸ मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा मुम्बई में मध्यालोक भवन का लोकार्पण
28 ▸ प्राकृतिक संतुलन के लिये जल, जंगल, जमीन का संरक्षण आवश्यक
29 ▸ योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें
30 ▸ संशोधित स्वरूप में प्रभावशील इंदिरा गृह ज्योति योजना
32 ▸ ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा 571 लाख का कन्या शिक्षा परिसर लोकार्पित
33 ▸ प्रदेश में 374 मीट्रिक टन ई-वेस्ट का निष्पादन
34 ▸ पूर्व सरपंच की जिद और ग्रामीणों के जुनून ने बदल दी कुल्हार गांव की तस्वीर
36 ▸ सड़क किनारे खंतियां बना बचायेंगे करोड़ों लीटर वर्षा जल
39 ▸ सड़कों को वृक्षों से हरा भरा कर दिया अंबुजा की सरपंच हुड़ी बाई ने
41 ▸ पंचायत बजट : मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)

चिट्ठी-चर्चा

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का अगस्त माह का अंक पढ़ा। विश्व आदिवासी दिवस की थीम पर इस अंक में प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे नवाचारों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा इस अंक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में आवागमन, सिंचाई और शिक्षा के साधनों को मजबूत बना रही है। इससे निश्चित तौर पर ग्रामीणों के जीवन में सुखद बदलाव आयेगा।

- विमला देवी श्रीवास्तव
होशंगाबाद (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का अगस्त 2019 का अंक पढ़ने को मिला। ग्रामीण विकास पर केंद्रित इस पत्रिका में प्रदेश के विभिन्न इलाकों में शासकीय योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के लिए सरकार द्वारा पाँच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह एक सराहनीय कदम है। इस राशि से गाँवों में शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा। गाँवों में स्वच्छ भारत मिशन के जरिए लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सरकार का प्रयास अनुकरणीय है।

- केशव गजभिये
उज्जैन (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचलों में निवासरत आदिवासीजन प्रदेश का अभिन्न अंग हैं। देश और प्रदेश का संपूर्ण विकास तभी सार्थक होगा जब विकास कार्यों का लाभ आदिवासियों तक पहुंचे। आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा विगत दिनों कई कदम उठाये गये हैं। सरकार द्वारा इस दिशा में किये गये कार्यों की जानकारी मध्यप्रदेश पंचायिका के अगस्त 2019 के अंक में प्रकाशित की गई है। विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों का लाभ आदिवासीजनों तक पहुंचे इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा समुचित प्रयास किये जाना जरूरी हैं।

- प्रीति ठाकुर
खण्डवा (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ने को मिला। इस अंक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये बजट की समुचित जानकारी प्रकाशित की गई है। इसके अलावा पत्रिका में राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जारी विभिन्न परिपत्रों का प्रकाशन भी किया गया है। इन परिपत्रों के प्रकाशन से पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत कर्मियों और ग्रामीणों को मार्गदर्शन मिलता है, साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहती है।

- कृपाशंकर मिश्रा
भोपाल (म.प्र.)

कमलेश्वर पटेल
मंत्री

प्रिय बंधुओ,

स्वाधीनता दिवस पर हमने अपनी आज़ादी का उत्सव मनाया। स्वतंत्रता दिवस का यह आयोजन हमें अपने पूर्वजों के बलिदान और संकल्प का स्मरण कराता है। पीढ़ियों के लम्बे संघर्ष के बाद हमने स्वतंत्रता का सूरज देखा है। अब हमारा दायित्व है कि हम इस धरोहर को समृद्ध करें।

प्रदेशवासियों को विकसित, सुखी और सम्पन्न करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और इसके लिए सरकार बनने के पहले दिन, पहले घंटे से हम प्रयासरत हैं। गांवों का विकास प्रदेश विकास की आधारभूत आवश्यकता है। अत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायतों के सशक्तिकरण की दिशा में जहां पंचायत राज प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गयी, वहीं कार्य प्रणाली को सहज और सरल बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है।

ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होने तथा उनके त्वरित निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ''आपकी सरकार-आपके द्वार'' कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि व सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्रीगण, विधायकगण स्वयं गांव-गांव जा रहे हैं, वहीं कलेक्टर, कमिश्नर सहित सभी जिलाधिकारी एक ही छत के नीचे बैठकर, मौके पर ही समस्याओं और माँगों का निराकरण कर रहे हैं। यह राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आवास व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश में अच्छा प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश आवास निर्माण में देश में अग्रणी है। हमारे लिए हर्ष की बात है कि प्रदेश ने आवास योजना में नवाचारों से अपनी अलग पहचान बनाई है।

प्रदेश में लगभग 40 हजार राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित कर, कुशल कारीगर का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अमल के लिए निर्मित नवाचारों की श्रृंखला में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि 9 हजार महिला राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण। यह कार्य महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है और समाज परिवर्तन का एक नवीन आयाम है।

सरकार योजनाओं के माध्यम से नये प्रयास और संकल्प से अपने वचनों को पूर्ण करते हुए आपके साथ है। हमारी यही अपेक्षा है कि आप सभी आगे बढ़कर विकास के नये कदमों और उत्कृष्ट योजनाओं का लाभ लें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं।

(कमलेश्वर पटेल)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश शासन

आयुक्त की कलम से...

संदीप यादव
आयुक्त

प्रिय पाठको,

15 अगस्त को हम सभी ने अपने 73वें स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण उत्साह और उल्लास के साथ मनाया। यह दिवस भारत की आजादी के लिए लगभग 200 वर्षों तक चले लम्बे संघर्ष में बलिदान हुए अनगिनत वीरों को नमन का अवसर है।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के नागरिकों के नाम संदेश दिया है उसे हम आपके लिए प्रकाशित कर रहे हैं ताकि प्रदेश की सभी पंचायतों तक सरकार का संकल्प और आपके लिये किये जाने वाले प्रयासों की जानकारी पहुँच सके।

हमें यह बताते हुए प्रसन्नता है कि 14वें वित्त आयोग, परफार्मेंस ग्रांट की वर्ष 2017-18 की राशि 296.64 करोड़, 1148 ग्राम पंचायतों को जारी कर दी गयी है। यह राशि भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में पंचायतों द्वारा स्वकराधान में वृद्धि के आधार पर अर्हता अनुसार प्रदान की गई है। अब आप इस राशि से महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अनुसार कार्यों को पूर्ण करें। मैं आपको पुन: स्मरण कराना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोतों (स्वकराधान) से आय में बढ़ोतरी तथा ऑडिटेड लेख के आधार पर वर्ष 2018-19 की 341.63 करोड़ तथा 2019-20 की 447.34 करोड़ राशि पात्र पंचायतों को प्रदान करने के लिए जिला तथा जनपद पंचायतों से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। यह राशि प्राप्त करने के लिए हमें भारत सरकार के निर्देश अनुसार समयसीमा में प्रस्ताव भेजा जाना आवश्यक है। अत: आप यथाशीघ्र पंचायत राज संचालनालय को प्रस्ताव भेजें और 14वें वित्त आयोग परफार्मेंस ग्राण्ट की राशि प्राप्त करने में सहभागी बनें ताकि पंचायतों के अधोसंरचना निर्माण तथा अन्य कार्य अनवरत चलते रहें ।

जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर गरीब ग्रामीण आवासहीन के अपने घर के सपने को पूरा किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश सबसे आगे है। प्रदेश ने 13.44 लाख से अधिक आवास निर्माण कर कीर्तिमान रचा है। विगत 8 और 9 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अमल को लेकर किये जाने वाले नवाचार और विशिष्ट कार्यों पर केन्द्रित क्षेत्रीय कार्यशाला का भोपाल में आयोजन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश सहित 6 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दो दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभागियों ने अपने-अपने राज्यों के नवाचारों को साझा किया साथ ही मध्यप्रदेश में होने वाले विशेष कार्यों को क्षेत्र में जाकर प्रत्यक्ष देखा, समझा और योजना के बेहतर क्रियान्वयन का संकल्प लिया। इस दो दिवसीय कार्यशाला की सम्पूर्ण जानकारी आपके लिए प्रकाशित की जा रही है। शेष स्तम्भ यथावत हैं।

विदिशा जिले के कुल्हार गांव के 20 फीट गहरे 6 तालाबों का निर्माण और बैतूल जिले का रोड रेन वाटर मॉडल, जल संरक्षण के इन दोनों ही अनूठे कार्यों को हम ''अच्छी पहल'' तथा ''जल संरक्षण'' स्तम्भ में प्रकाशित कर रहे हैं। हर बार की तरह आपकी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए पंचायत गजट में विभागीय आदेश को प्रकाशित किया जा रहा है।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(संदीप यादव)
आयुक्त, पंचायत राज

प्रदेश के नागरिक ही सरकार की शक्ति

मुख्यमंत्री का प्रदेश के नागरिकों के नाम स्वतंत्रता दिवस पर संदेश

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों के नाम जारी सन्देश में कम समय में किये गए, ऐतिहासिक निर्णयों और लागू की गयी योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर श्री कमल नाथ ने कहा है कि प्रदेश के नागरिक ही सरकार की शक्ति हैं। यही शक्ति प्रदेश को गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त कर विकसित और ऊर्जावान प्रदेश बनायेगी। सरकार और लोगों के बीच की दूरी कम की जा रही है। हमारा प्रयास है कि लोग स्वयं बदलाव महसूस करें।

स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रदेश के नागरिकों के नाम अपने संदेश में कहा कि 20 लाख से ज्यादा किसानों के डिफाल्टर ऋण माफ हो गए हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने एक ही जमीन पर कई बैंकों से ऋण ले रखे थे। छानबीन पूरी होने पर उनका भी ऋण माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रबी 2018-19 में उत्पादित गेहूँ विक्रय पर 160 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि उनके खातों में जमा कराई जाएगी। सहकारी बैंकों में पूंजी की तरलता बढ़ाने के लिये तीन हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इसमें से एक हजार करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। किसानों को आधी दरों पर और गरीबों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी जा रही है। किसानों के लिए बनाई गई इंदिरा किसान ज्योति योजना में 10 हार्स पावर तक के स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 1400 की जगह 700 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष के फ्लैट रेट से बिजली दी जा रही है। इसका लाभ 18 लाख किसानों को मिल रहा है।

62 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली 100 रुपये में

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना बनाई है, जिसके तहत 62 लाख परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली 100 रुपये में दी जा रही है। लघु उद्योगों सहित गैर कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 10 घंटे बिजली दी जा रही है। बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए सतपुड़ा एवं अमरकंटक में 550 मेगावॉट की एक-एक इकाई स्थापित की जा रही है।

एक हजार गौ-शालाओं का निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गौ-वंश की देख-रेख को सरकार ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसके लिये प्रदेश में पहली बार सरकार ने एक हजार गौ-शालाओं के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया है।

45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई

आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में 45

लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खाली खजाना मिलने के बावजूद सिंचाई योजनाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को आवंटित नर्मदा जल का पूरा उपयोग किया जाएगा।

निवेश के लिये विश्वास का माहौल

मुख्य मंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिये विश्वास का माहौल बनाया जा रहा है। निवेश को आकर्षित करने के लिये 18 से 20 अक्टूबर तक इंदौर में 'मेग्नीफिशेंट (Magnificent) मध्यप्रदेश' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के सफल उद्योगपतियों को ब्राण्ड एम्बेसेडर बनाया जाएगा। उद्योग सलाहकार परिषद् गठित की जाएगी। श्री नाथ ने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप सिर्फ सात माह में 6 हजार 158 करोड़ रुपये का स्थाई पूँजी निवेश हुआ है। सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो। उज्जैन, डिण्डौरी, अलीराजपुर एवं बैतूल जिलों में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं। पावरलूम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये विशेष पैकेज लाया जा रहा है। बागवानी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लाई जा रही है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के लोगों को ही देना पड़ेगा। इसके लिए कानून बनाने जा रहे हैं ।

आधार कार्ड से राशन

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश में कहा कि गरीब परिवारों के लिए एक रुपये किलो अनाज और नमक देने के लिए 18 जिलों में आधार कार्ड आधारित राशन वितरण व्यवस्था लागू की गई है। अब इन जिलों में हितग्राही किसी भी राशन दुकान से आधार कार्ड के जरिये राशन प्राप्त कर रहे हैं। आगामी समय में यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जायेगी।

मध्यप्रदेश सरकार आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए 45 लाख अतिरिक्त परिवारों का इलाज अपने खर्च पर करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए कानून बनाने जा रही है। श्री नाथ ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करते हुए मेडिकल कॉलेजों में लगभग 20 प्रतिशत एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई हैं। सतना जिले में नया मेडिकल कॉलेज शीघ्र खोला जा रहा है। ग्वालियर, जबलपुर और रीवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेंटर तैयार होगा।

असंगठित मजदूरों के लिए नया सवेरा योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित मजदूरों को आगे लाने के लिए नई योजना 'नया सवेरा' शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के कल्याण से ही हम मध्यप्रदेश पर बीमारु का लगा टैग मिटा पाने में सफल होंगे। इस योजना में 6 माह में 63 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लगभग 6 सौ करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है।

हमारा गाँव-हमारा पानी

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि हमारा गाँव-हमारा पानी, जल संरक्षण और लोगों को पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पहली बार जल अधिकार कानून बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि 36 जिलों की 38 नदियों के पुनर्जीवन का कार्य पाँच सालों में पूरा किया जाएगा।

इन्दौर-भोपाल एक्सप्रेस-वे डेवलपमेंट अथॉरिटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल और इन्दौर शहरों में मेट्रो रेल का काम शुरू हो गया है। ग्वालियर में मेट्रोपॉलिटन रीजन की स्थापना की जा रही है। भोपाल और इन्दौर शहरों पर बढ़ते दबाव

को कम करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी एकीकृत प्रोजेक्ट इन्दौर-भोपाल एक्सप्रेस-वे को लिया है। परियोजना में एक्सप्रेस-वे के साथ नये छोटे शहर और औद्योगिक क्लस्टर भी होंगे। इस परियोजना को पूरा करने के लिए इन्दौर-भोपाल एक्सप्रेस-वे डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री पट्टा योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अलग-अलग योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में पात्र भूमिहीन आवेदकों को राज्य सरकार आवास के साथ अपनी तरफ से भूमि के पट्टे भी देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पट्टा योजना चलाई जायेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क में सालाना 4 हजार 800 छात्रों को एडवांस प्रशिक्षण दिया जायेगा। संभागीय मुख्यालयों की आई.टी.आई. को मेगा आई.टी.आई. बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष 200 नए हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोले जाएंगे। लगभग 150 हाईस्कूल एवं 600 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन बनाये जायेंगे। शिक्षा की क्वालिटी के लिये कमजोर परिणाम वाले स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छिन्दवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट जिले के विद्यार्थियों की सुविधा के लिये छिन्दवाड़ा में यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। आदिवासी क्षेत्र के 42 शासकीय कॉलेजों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ किये जा रहे हैं। इस वर्ष झाबुआ मॉडल कॉलेज के अलावा खंडवा, बड़वानी, विदिशा, छतरपुर, सिंगरौली, दमोह, गुना तथा राजगढ़ में भी नये मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है।

स्वास्थ्य का अधिकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार आयुष्मान योजना का विस्तार

करते हुए 45 लाख अतिरिक्त परिवारों का इलाज अपने खर्च पर करेगी। नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करते हुए मेडिकल कॉलेजों में लगभग 20 प्रतिशत एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई हैं। सतना जिले में नया मेडिकल कॉलेज शीघ्र खोला जा रहा है। ग्वालियर, जबलपुर और रीवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेंटर तैयार होगा।

आदिवासियों का साहूकारी ऋण समाप्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सभी आदिवासी विकासखंडों में आदिवासी भाइयों के ऊपर सभी साहूकारी ऋणों को 15 अगस्त से समाप्त घोषित करने का निर्णय लिया है। ऐसे किसी ऋण की वसूली अब नहीं हो सकेगी। इसे लागू करने के लिए कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। आदिवासी भाइयों की सुविधा के लिए बैंकों से 10 हजार रुपये तक की लिमिट स्वीकृत की जा रही है। यह राशि वे अपने रूपे डेबिट कार्ड से कभी भी एटीएम से निकाल सकेंगे। सभी आदिवासी विकासखंडों के ग्रामीण हाट बाजारों में बैंक एटीएम की स्थापना की जा रही है। वनाधिकार देने के काम में छूट गए कई आदिवासी भाइयों के खारिज हुए प्रकरणों को पुनरीक्षित किया जा रहा है। इसके ऑनलाइन (Online) निराकरण की नई व्यवस्था की गई है। आदिवासी भाइयों के लिए औषधीय खेती योजना बनाई जा रही है। इसमें आदिवासियों को अपने भूमि पट्टों पर औषधीय खेती के लिये सहायता उपलब्ध करायी जायेगी और पूरे उत्पाद के खरीदने की गारंटी रहेगी। तेंदूपत्ता के भुगतान की राशि 2 हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर ढाई हजार रुपये प्रति मानक बोरा की गई है। श्री नाथ ने बताया कि अन्य वनोपज के लिए भी नई योजना बनाई जा रही है। अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम के ऋणी हितग्राहियों के एक लाख रुपये तक के ऋण माफ करने की प्रक्रिया चल रही है।

पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि सरकार ने पिछड़े और कमजोर वर्ग के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है।

इसके लिए कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए संभागीय शहरों में 500 सीटर कन्या छात्रावास बनाए जा रहे हैं। निराश्रितों और दिव्यांगों की पेंशन दो गुना बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है। अगले पाँच साल में एक हजार रुपये करेंगे।

जिला सरकार व्यवस्था

श्री नाथ ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा और उनके अधिकारों में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गति देने और जिला स्तर पर अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के लिये 'जिला सरकार' व्यवस्था को फिर से लागू किया जा रहा है। लोक सेवाओं के प्रदाय को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये 'जन अधिकार' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने पर प्रदेश को गर्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने देश में टाइगर स्टेट का दर्जा फिर हासिल किया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इससे प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम में शिविर लगाकर रोजमर्रा की समस्याओं का निराकरण मौके पर किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश को मिलावटमुक्त प्रदेश बनाने के लिए मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाईयाँ की जा रही हैं। उनके विरुद्ध रासुका जैसी कार्रवाई भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 27 मामलों में अपराधियों को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई है। महिला सुरक्षा के लिये रानी दुर्गावती महिला बटालियन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्म वर्ष पर जिला मुख्यालयों पर 14 से 19 नवम्बर तक सांस्कृतिक गतिविधियाँ होंगी। यह वर्ष गुरुनानक देव जी का भी 550वाँ प्रकाश पर्व है। इसे भी बड़े स्तर पर मनाया जाएगा।

कम समय में किये गये ऐतिहासिक निर्णय
प्रदेश के नागरिकों को संदेश

- राज्य सरकार का गठन 25 दिसम्बर को हुआ। उसके बाद लोकसभा चुनाव और उसकी आचार संहिता के बाद केवल पांच महीने का ही समय काम करने के लिए मिला।
- पिछली सरकार से खाली खजाना मिला था। उसके बावजूद जनता को दिए गए वचन-पत्र में सभी वादों को पांच साल में पूरा करने के लिए संकल्पित हैं।
- मध्यप्रदेश की गणना अभी भी देश में पिछड़े राज्यों में ही होती है।
- मुख्यमंत्री जय किसान ऋण माफी योजना के प्रथम चरण में 20 लाख 10 हजार किसानों के 50 हजार रुपये तक के चालू ऋण और 2 लाख रुपये तक के डिफाल्टर ऋण माफ किये गये हैं।
- ऋण माफी के दौरान प्रथम चरण में छानबीन के दौरान एक आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि बड़ी संख्या में किसानों ने एक ही जमीन पर कई बैंकों से ऋण ले रखा था। इस कारण गहरी छानबीन करनी पड़ी।
- सहकारी बैंकों ने छानबीन पूरी कर ली है जबकि अन्य बैंकों की छानबीन जारी है। योजना के अगले चरण में दो लाख रुपये तक के सहकारी बैंकों के चालू ऋण माफ करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने जा रहे हैं। अन्य बैंकों की छानबीन पूरी होने पर उनकी भी ऋण माफी की कार्यवाही आगे की जाएगी।
- रबी 2018-19 में उत्पादित गेहूँ विक्रय पर 160 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। जिन किसानों ने घोषित अवधि में मंडियों में अथवा उपार्जन में अपना गेहूं बेचा है, उनके खातों में शीघ्र यह राशि जमा कराई जाएगी।
- सहकारी बैंकों में पूंजी की तरलता बढ़ाने के लिये तीन हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इसमें से एक हजार करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।
- निराश्रित गौ-वंश की देख-रेख के लिए सरकार ने प्रदेश में पहली बार एक हजार गौ-शालाओं के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया है।
- लघु उद्योगों सहित गैर कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 10 घंटे बिजली दी जा रही है। इस वर्ष 5 जनवरी को रिकार्ड 14 हजार मेगावॉट बिजली की आपूर्ति की गई। पिछले छह माह में विगत वर्ष की इसी अवधि से लगभग 14 प्रतिशत अधिक बिजली प्रदाय हुआ।
- बिजली के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनने के लिए सतपुड़ा एवं अमरकंटक में 550 मेगावॉट की एक-एक इकाई स्थापित की जायेगी। निजी क्षेत्र में भी 2 हजार 640 मेगावॉट की उत्पादन इकाइयों की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं।
- किसानों को आधी दरों पर और गरीबों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का वचन दिया था। दोनों वचन पूरे किये हैं।
- किसानों के लिए नई योजना इंदिरा किसान ज्योति योजना बनाई है। इसके अंतर्गत 10 हार्स पावर तक के स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 1400 की जगह 700 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष के फ्लैट रेट से बिजली दी जा रही है। इसका लाभ 18 लाख किसानों को मिल रहा है।
- घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना सरकार ने बनाई है। इसके तहत 62 लाख परिवारों

को 100 यूनिट तक बिजली 100 रुपये में दी जा रही है।

- आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। खाली खजाना मिलने के बावजूद सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
- मध्यप्रदेश को आवंटित नर्मदा जल का पूरा उपयोग आगामी 5 वर्षों में सुनिश्चित किया जायेगा। गुजरात के साथ नर्मदा जल के बंटवारे में प्रदेश के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे।
- प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भोपाल में निर्माणाधीन ग्लोबल स्किल पार्क में सालाना 4 हजार 800 युवाओं को एडवांस प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- संभागीय मुख्यालयों के आई. टी.आई. को मेगा आई.टी.आई. बनाया जा जा रहा है।
- प्रदेश के अधिकांश बड़े शहरों में कौशल विकास के लिए नए केन्द्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण की क्वालिटी पर नजर रखी जा रही है।
- शहरी बेरोजगारों के रोजगार और कौशल विकास के लिये मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है।
- प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के लोगों को ही देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार कानून बनाने जा रही है।
- प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिये 18 से 20 अक्टूबर तक इन्दौर में मेग्नीफिशेंट (Magnificent) मध्यप्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
- प्रदेश के सफल उद्योगपतियों को ब्राण्ड एम्बेसडर बनाया जा रहा है।
- उद्योग सलाहकार परिषद् का भी गठन किया जा रहा है।
- सरकार के प्रयासों के परिणाम मिलना शुरू हो गये हैं। सात माह के सीमित समय में प्रदेश में 6 हजार 158 करोड़ रुपये का स्थाई पूँजी निवेश हुआ है। इसी अवधि में 15 हजार 208 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश वाली 7 मेगा औद्योगिक इकाइयों के प्रस्ताव मिले हैं।
- सरकार का लक्ष्य है हर जिले में कम से कम एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो। उज्जैन, डिण्डौरी, अलीराजपुर एवं बैतूल जिलों में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं।
- पावरलूम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये विशेष पैकेज लाया जा रहा है।
- बागवानी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लाई जा रही है।
- गरीब परिवारों के लिए एक रुपए किलो अनाज और नमक की व्यवस्था के लिए 18 जिलों में आधार कार्ड आधारित राशन वितरण व्यवस्था लागू की गई है। अब इन जिलों में हितग्राही किसी भी राशन दुकान से आधार कार्ड के जरिये राशन प्राप्त कर रहे हैं। आगामी समय में यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जायेगी।
- प्रदेश में असंगठित मजदूरों की मदद के लिए एक नई योजना नया सवेरा प्रारंभ की गई है। इस योजना में 6 माह में 63 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लगभग 6 सौ करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई।
- इस वर्ष दो हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य विभिन्न चरणों में किया जायेगा।
- पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा और उनके अधिकारों में वृद्धि की जाएगी।
- जल संरक्षण और पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में पहली बार जल अधिकार कानून।
- 36 जिलों की 38 चिन्हित नदियों के पुनर्जीवन का कार्य आने वाले पांच सालों में किया जाएगा।
- हमारा गाँव-हमारा पानी सरकार का अभियान है।
- शहरों में पीने के पानी, स्वच्छता, सीवरेज और कचरा प्रबंधन के साथ लोक परिवहन की सुगम व्यवस्था।
- भोपाल और इन्दौर दोनों शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो रेल का काम शुरू।
- भोपाल और इन्दौर के साथ ग्वालियर में मेट्रो-पॉलिटन रीजन की स्थापना का निर्णय।
- भोपाल और इन्दौर शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी एकीकृत प्रोजेक्ट इन्दौर-भोपाल एक्सप्रेस-वे बनेगा। परियोजना में एक्सप्रेस-वे के साथ नये छोटे शहर और औद्योगिक क्लस्टर होंगे।
- परियोजना को पूरा करने के लिए इन्दौर-भोपाल एक्सप्रेस-वे डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी।
- आवास योजनाओं में पात्र भूमिहीन आवेदकों को राज्य सरकार आवास के साथ अपनी तरफ से भूमि के पट्टे भी देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पट्टा योजना शुरू होगी।
- स्कूल शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष 200 नए हाईस्कूल तथा 200 नए हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाएंगे।
- लगभग 150 हाईस्कूल एवं 600 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन बनाये जाएंगे।
- शिक्षा की क्वालिटी के लिये कमजोर परिणाम वाले स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- छिन्दवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट जिले के विद्यार्थियों की सुविधा के लिये छिन्दवाड़ा में यूनिवर्सिटी स्थापित।
- आदिवासी क्षेत्र के 42 शासकीय कॉलेजों में विज्ञान एवं वाणिज्य

संकाय प्रारंभ।

- इस वर्ष झाबुआ मॉडल कॉलेज के अलावा खंडवा, बड़वानी, विदिशा, छतरपुर, सिंगरौली, दमोह, गुना तथा राजगढ़ में भी नये मॉडल कॉलेजों की स्थापना होगी।
- आयुष्मान योजना का विस्तार कर राज्य सरकार 45 लाख अतिरिक्त परिवारों का इलाज अपने खर्च पर कराएगी।
- नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए कानून बनेगा।
- डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं का विस्तार होगा।
- मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की लगभग 20 प्रतिशत सीटें बढ़ाई गईं।
- सतना जिले में नया मेडिकल कॉलेज शीघ्र खोला जाएगा।
- ग्वालियर, जबलपुर और रीवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेंटर तैयार।
- सभी आदिवासी विकासखंडों में आदिवासी भाइयों के ऊपर साहूकारी ऋण 15 अगस्त से समाप्त। ऐसे किसी ऋण की वसूली अब नहीं हो सकेगी। इसे लागू करने के लिए कलेक्टरों को सख्त निर्देश।
- आदिवासी भाइयों को जरूरत पर बैंकों से 10 हजार रुपये तक की लिमिट स्वीकृत। यह राशि वे अपने रूपे डेबिट कार्ड से कभी भी ए.टी.एम. से निकाल सकेंगे। सभी आदिवासी विकासखण्डों के ग्रामीण हाट-बाजारों में बैंक एटीएम स्थापना परियोजना की प्रक्रिया अंतिम चरण में।
- वनाधिकार के खारिज सभी प्रकरणों का पुनरीक्षण होगा। ऑनलाइन (Online) निराकरण की नई व्यवस्था शुरू।
- आदिवासी क्षेत्रों के लिए औषधीय खेती योजना शुरू होगी। आदिवासियों को अपने भूमि पट्टों पर औषधीय खेती के लिये सहायता उपलब्ध करायी जायेगी और पूरे उत्पाद के खरीदने की गारंटी होगी।
- तेंदूपत्ता के भुगतान की राशि 2 हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर ढाई हजार रुपये प्रति मानक बोरा की गई। अन्य वनोपज के लिए भी नई योजना बनाने के निर्देश।
- अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम के ऋणी हितग्राहियों के एक लाख रुपये तक के ऋण माफ करने की प्रक्रिया चालू।
- पिछड़ा वर्ग आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला। इसके लिए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू।
- पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिये बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये संभागीय शहरों में 500 सीटर कन्या छात्रावास बनाए जाएंगे।
- निराश्रितों और दिव्यांगों के लिये पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर पांच साल में एक हजार रुपये करेंगे। प्रथम चरण में वादे के मुताबिक इसे दोगुना 600 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।
- कन्या विवाह/निकाह योजना की सहायता राशि 28 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये की गई।
- प्रदेश ने देश में टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल किया है।
- आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें विकासखण्ड मुख्यालयों अथवा बड़े ग्रामों में शिविर लगाकर मौके पर ग्रामीण आबादी की रोजमर्रा की समस्याओं का निराकरण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है।
- विकास कार्यों को गति देने और जिला स्तर पर अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के लिये जिला सरकार व्यवस्था फिर से लागू होगी।
- लोक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये जन अधिकार कार्यक्रम शुरू।
- नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों को भरने का काम किया गया।
- इस साल सभी जिलों के भू-अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध हो जायेंगे।
- खसरा खातों की नकल दरें कम कर उनमें एकरूपता लाई गई है।
- 775 मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम बनाया गया।
- अतिथि शिक्षकों/रोजगार सहायकों/अन्य संविदा कर्मचारी संगठनों से प्राप्त स्थायीकरण और अन्य समस्याओं पर गम्भीरता से विचार।
- मध्यप्रदेश को मिलावटमुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मिलावट खोरों के विरुद्ध रासुका में कार्रवाई की गई।
- महिला-बाल अपराधों में न्यायालयों से मई 2019 तक गत वर्ष से 9 प्रतिशत अधिक सजा दिलाई गई। अब तक 27 मामलों में अपराधियों को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई।
- महिला सुरक्षा के लिये पृथक से रानी दुर्गावती महिला बटालियन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर जिला मुख्यालयों में 14 से 19 नवम्बर तक सांस्कृतिक गतिविधियाँ होंगी।
- गुरुनानक देव जी का 550वें प्रकाश पर्व भी बड़े स्तर पर मनाया जाएगा।
- सरकार और लोगों के बीच की दूरी कम की जाएगी।
- सरकार की मंशा है कि लोग बदलाव स्वयं महसूस करें।
- सरकार का एजेण्डा : वचन-पत्र के सभी बिन्दुओं पर हर हाल में अगले पाँच साल में अमल होगा।
- प्रदेश के लोग सरकार की शक्ति हैं। यही शक्ति प्रदेश को गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त कर विकसित और ऊर्जावान प्रदेश बनायेगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने किया ध्वजारोहण

हर्षोल्लास के साथ परम्परागत एवं गरिमामय ढंग से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

सीधी जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह और गरिमामय स्वरूप में हुआ। मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउण्ड पर आयोजित किया गया जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने ध्वजारोहण किया। आयोजन में पंचायत मंत्री श्री पटेल ने परेड का निरीक्षण किया, इस दौरान प्रभारी कलेक्टर डी.पी. वर्मन और पुलिस अधीक्षक आर.एस. बेलवंशी भी उनके साथ रहे। श्री पटेल ने समृद्धि के प्रतीक रंगीन गुब्बारे नीलगगन में छोड़े। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के संदेश का वाचन किया। तत्पश्चात परेड द्वारा तीन बार हर्ष फायर किया गया।

प्रभारी रक्षित निरीक्षक गीता प्रजापति के कमाण्ड में आकर्षक मार्चपॉस्ट किया गया। इसमें एस.ए.एफ. 9वीं वाहिनी रीवा, जिला पुलिस बल, होमगार्ड, वन विभाग, संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के एन.सी.सी., शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र. 1, श्री गणेश सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, सरस्वती उ.मा.वि. मडरिया, शा. उ.मा.वि. क्र. 2, ज्योति उ.मा. विद्यालय, शा. आदर्श कन्या हाईस्कूल, शौर्यादल एवं गाँधी विद्यालय के बैण्ड दल द्वारा आकर्षक परेड का प्रदर्शन कर मुख्य अतिथि को सलामी दी गई।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये। सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह की श्रृंखला में सर्वोत्तम परेड का पुरस्कार एस.ए.एफ. 9वीं बटालियन रीवा को दिया गया। परेड सीनियर का द्वितीय पुरस्कार संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के एन.सी.सी. एवं तृतीय पुरस्कार जिला पुलिस बल सीधी को दिया गया। सर्वोत्तम परेड जूनियर का प्रथम पुरस्कार शा. उ.मा.वि. क्र. 2 को, द्वितीय पुरस्कार शा.उत्कृष्ट.उ.मा.वि. क्र. 1 एवं तृतीय पुरस्कार शासकीय आदर्श कन्या हाईस्कूल को दिया गया।

वीर शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित

पंचायत मंत्री श्री पटेल ने वीर शहीदों की वीर नारियों एवं परिजनों में सावित्री देवी पत्नी शहीद लांस नायक श्यामलाल सिंह, जुक्कू देवी पत्नी शहीद सिपाही रघुवंश प्रसाद, राधा देवी शहीद हवलदार रामस्वरूप तिवारी, रामकली देवी पत्नी शहीद हवलदार ब्रजभूषण तिवारी, सविता द्विवेदी पत्नी शहीद सिपाही दिलीप कुमार, सुनीता सिंह पत्नी शहीद जीडीआर ताम्रध्वज सिंह, सच्चिदानन्द सिंह पिता शहीद लांस नायक सुधाकर सिंह, आशा देवी पत्नी शहीद सिपाही धर्मपाल सिंह, सावित्री मिश्रा पत्नी शहीद सिपाही रामसिया मिश्रा को शाल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति

शासकीय कन्या उ.मा.वि. सीधी, शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. सीधी, ज्योति हायर सेकेण्डरी स्कूल, सरस्वती उ.मा. वि. मडरिया, गणेश हायर सेकेण्डरी अमहा के छात्र-छात्राओं द्वारा देशभक्ति

आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां हुईं। गांधी विद्यालय द्वारा बैण्ड डिस्पले कार्यक्रम में उपस्थितजनों सहित मंचस्थ अतिथियों को भावविभोर एवं उत्साहित कर दिया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारी पुरस्कृत

जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये। सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह की श्रृंखला में सर्वोत्तम परेड का पुरस्कार एस.ए.एफ. 9वीं बटालियन रीवा को दिया गया। परेड सीनियर का द्वितीय पुरस्कार संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के एन.सी.सी. एवं तृतीय पुरस्कार जिला पुलिस बल सीधी को दिया गया। सर्वोत्तम परेड जूनियर का प्रथम पुरस्कार शा.उ.मा.वि. क्र.2 को, द्वितीय पुरस्कार शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र. 1 एवं तृतीय पुरस्कार शासकीय आदर्श कन्या हाईस्कूल को दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रथम पुरस्कार सरस्वती उ.मा. विद्यालय मडरिया को, द्वितीय पुरस्कार शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. सीधी को एवं तृतीय पुरस्कार शासकीय कन्या उ.मा.वि. सीधी को दिया गया।

इनकी रही उपस्थिति - इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अभ्युदय सिंह, जिला पंचायत सदस्य नरेन्द्र सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ए.बी. सिंह, वन मण्डलाधिकारी वृजेन्द्र झा, वरिष्ठ समाजसेवी रूद्रप्रताप सिंह, चिंतामणि तिवारी, आनंद सिंह चौहान, राजेन्द्र सिंह भदौरिया, ज्ञानेंद्र प्रसाद द्विवेदी, भानू पाण्डेय, हरिहर गोपाल मिश्र, दान बहादुर सिंह, सुरेश प्रताप सिंह, रंजना मिश्रा, कुमुदिनी सिंह, प्रदीप सिंह सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी, जिले के समस्त वरिष्ठ पत्रकार, विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक संगठनों के सदस्य एवं गणमान्य नागरिकों के साथ नगर के विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों के विद्यार्थीगण, अभिभावक एवं आमजन स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान उपस्थित थे।

● **राजकुमार पटेल**

गाँधी जयंती से ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए जन-अभियान

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 तक के लिये 'ग्राम पंचायत विकास योजना' बनाई जायेगी। इसके अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 'सबकी योजना-सबका विकास' की तर्ज पर गाँधी जयंती 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक प्रदेश में जन-अभियान चलाया जाएगा। अभियान में पंचायतों में 29 विषयों से संबंधित विभाग भागीदारी करेंगे।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह ने बताया कि प्रदेश की सभी 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों में अभियान 2 अक्टूबर को ग्राम-सभाओं से शुरू होगा।

ग्राम सभाएँ दो चरणों में होंगी। पंचायतों में सौंपे गये 29 विभागों के मैदानी कर्मी ग्राम का सर्वे कर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करेंगे। ग्राम सभाओं द्वारा बनाई योजना को ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद भारत सरकार के विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराना होगा।

जिला स्तर पर अभियान का नोडल अधिकारी कलेक्टर को नामांकित किया गया है। राज्य स्तर पर विभागीय समन्वय के लिए श्री आई.एस. ठाकुर संयुक्त आयुक्त, श्री प्रफुल्ल जोशी राज्य कार्यक्रम समन्वयक और श्री वी.के. त्रिपाठी उप संचालक को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्तर से रेंडम आधार पर अभियान की मॉनिटरिंग की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

सबको आवास के लिए नवाचारों का सामूहिक संकल्प

हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो। ''सबका सपना घर हो अपना'' इसे मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गयी। मध्यप्रदेश, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अमल में अग्रणी राज्य है। यहां देश में सबसे ज्यादा 13.44 लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया गया है। योजना क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में कई नवाचार भी हुए हैं। प्रदेश की कार्य के प्रति सक्रियता को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को पूर्वी राज्यों के नवाचारों को साझा करने की कार्यशाला आयोजित करने का दायित्व सौंपा गया।

विगत 8 और 9 अगस्त, 2019 को भोपाल में छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और मध्यप्रदेश सहित 6 राज्यों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किये गये कार्यों और नवाचारों को साझा किया।

कार्यशाला का शुभारंभ 8 अगस्त को प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल द्वारा किया गया। कार्यशाला को मुख्य अतिथि श्री पटेल, अपर सचिव भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री प्रशांत कुमार तथा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन श्रीमती गौरी सिंह ने संबोधित किया। आभार प्रदर्शन संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मध्यप्रदेश, डॉ. दिलीप कुमार द्वारा किया गया। कार्यशाला में पहले दिन सभी प्रदेशों के कार्य तथा नवाचारों का आदान-प्रदान किया गया तथा दूसरे दिन क्षेत्र भ्रमण किया गया। प्रस्तुत है इस दो दिवसीय राज्य स्तरीय क्षेत्रीय कार्यशाला की विस्तृत रिपोर्ट।

अपना घर मनुष्य को सुकून देता है, स्थायित्व का बोध कराता है। देश की गरीब जनता की इस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करने का जिम्मा सरकार ने लिया और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गयी। देश भर में संचालित इस योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है।

योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शासन प्रशासन ने मिलकर मध्यप्रदेश में कई नवाचार किये। इन नवाचारों ने प्रगति की ओर कदम बढ़ाते हुए प्रदेश का विशेष स्थान बनाया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में प्रदेश की सक्रियता को देखते हुए पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में किये गये नवाचारों और कार्यों को लेकर प्रदेश स्तरीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित करने का जिम्मा मध्यप्रदेश को सौंपा गया।

भोपाल में विगत 8 से 9 अगस्त तक दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मध्यप्रदेश सहित छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखण्ड कुल 6 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला के प्रथम दिन जहांनुमा पैलेस, भोपाल में नवाचारों तथा कार्यों का आदान-प्रदान हुआ तथा दूसरे दिन नवाचारों को प्रत्यक्ष देखने के लिए समूचे दल ने क्षेत्र भ्रमण किया।

इसमें श्री प्रशांत कुमार अपर सचिव भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रीमती गौरी सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश, श्री शैलेष कुमार उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मध्यप्रदेश डॉ. दिलीप कुमार तथा तकनीकी सलाहकार केन्द्र सरकार की विशेष उपस्थिति रही।

कार्यशाला के सत्र

1. उद्घाटन सत्र
2. तकनीकी सत्र एक - बिहार की प्रस्तुति
3. तकनीकी सत्र दो - उड़ीसा की प्रस्तुति
4. तकनीकी सत्र तीन - पश्चिम बंगाल की प्रस्तुति
5. तकनीकी सत्र चार - झारखण्ड की प्रस्तुति
6. तकनीकी सत्र पांच - छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति
7. तकनीकी सत्र छह - मध्यप्रदेश की प्रस्तुति
8. समस्या समाधान हेतु समूह चर्चा : 1. बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल
9. समस्या समाधान हेतु समूह चर्चा : 2. झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश

उद्घाटन सत्र

दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि यह कार्यशाला आवास योजना की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। नवाचारों के आदान-प्रदान से कार्य के लिए प्रेरणा मिलेगी और इससे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। योजना के क्रियान्वयन और बेहतरी के लिए श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की तरह 2.50 लाख रूपये प्रति हितग्राही दिया जाये।

हितग्राही को लाभान्वित करने के उद्देश्य से श्री पटेल ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सूची में से जो 38 लाख हितग्राही छूट गये हैं। उन्हें भी आवास प्लस में जोड़ा जाये ताकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण द्वारा लाभान्वित किया जा सके। श्री पटेल ने मध्यप्रदेश में राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण के व्यापक स्तर पर कार्य किये जाने की प्रशंसा की, साथ ही उन्होंने अपर सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार श्री प्रशांत कुमार से आवास योजना के तहत आ रही समस्या के शीघ्र निराकरण के लिए कहा।

इसी सत्र में श्री प्रशांत कुमार, अपर सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने अपने संबोधन में नियमित अंतराल पर विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई नवीन प्रणालियों की प्रशंसा की। श्री कुमार ने प्रधानमंत्री

कार्यशाला में शामिल राज्य

- मध्यप्रदेश
- बिहार
- उड़ीसा
- पश्चिम बंगाल
- झारखण्ड
- छत्तीसगढ़

आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर आ रही समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए आश्वस्त किया। आवास पोर्टल में वित्तीय रिकोन्सिलिएशन मॉड्यूल तथा प्रशासनिक रिकोन्सिलिएशन मॉड्यूल को सितम्बर, 2019 से लागू किया जाना सुनिश्चित किया, इसके लिए विभिन्न राज्यों को निर्देशित भी किया।

उद्घाटन सत्र में श्रीमती गौरी सिंह अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों की सराहना की। श्रीमती सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन तेज गति से हुआ है। इसका श्रेय जमीनी कार्यकर्ताओं को जाता है। कार्य करने में जब समस्याएं और चुनौतियां आयीं तो रणनीति बनाकर समाधान किया गया। उन्होंने कार्यों के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी समस्याओं को अवगत कराते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा निराकरण की अपेक्षा व्यक्त की। श्रीमती सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश कम लागत में आवास निर्माण की गतिविधि शुरू करने जा रहा है। इसमें रिसोर्स पर्सन को चिन्हित कर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायत राज हैदराबाद में प्रशिक्षण दिलाया जायेगा ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जबलपुर में कम लागत प्रौद्योगिकी पार्क बनाये जाने पर जोर दिया गया है। श्रीमती सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में कई नवाचार हुए उनमें से प्रमुख रूप से महिला सशक्तिकरण

और समाज विकास के लिए कार्य किया गया। प्रदेश में 10 हजार महिलाओं को राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे गुणवत्तापूर्ण आवासों के निर्माण के साथ महिलाओं को इस दिशा में भागीदारी का अवसर प्राप्त होगा। आभार प्रदर्शन निदेशक प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण डॉ. दिलीप कुमार ने किया।

तकनीकी सत्र

दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन के बाद केन्द्र सरकार से आये सलाहकारों श्रीमती विभा गर्ग, श्रीमती तरुणा तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि श्री अजय मोरे द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं, तदुपरान्त 6 तकनीकी सत्र सम्पन्न हुए।

इन सत्रों में सभी 6 राज्यों के प्रतिनिधि यों ने अपने-अपने प्रदेश में होने वाले नवाचार और विशिष्ट कार्यों की प्रस्तुति दी। प्रादेशिक प्रस्तुतिकरण के प्रथम सत्र में बिहार के प्रस्तुतिकरण की अध्यक्षता श्री राजेश पी. पाटिल ने

कार्यशाला में शामिल प्रतिनिधि

राज्य	अधिकारी का नाम	पद
मध्यप्रदेश	श्रीमती गौरी सिंह	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन
नई दिल्ली	श्री प्रशांत कुमार	अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली	श्री शैलेष कुमार	उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालाय, भारत सरकार
मध्यप्रदेश	श्री दिलीप कुमार	निर्देशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
नई दिल्ली	श्री अजय मोरे	साइंटिस्ट 'बी', एन.आई.सी.
पश्चिम बंगाल	श्री निलय बैनर्जी	राज्य समन्वयक
पश्चिम बंगाल	श्री भास्कर सरकार	जिला सूचना एनालिस्ट, पुरूलिया जिला परिषद्
पश्चिम बंगाल	श्री अरनब सरकार	जिला, पी.एम.ए.वाय.जी. विंग, कोच, बिहार जिला परिषद्
उड़ीसा	श्री राजेश पी. पाटिल	डायरेक्टर, स्पेशल प्रोजेक्ट
उड़ीसा	श्री एम.डी. अब्दाल अख्तर	प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कटक
उड़ीसा	श्री सुकान्ता त्रिपाठी	प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सम्बलपुर
उड़ीसा	श्री चंचल राना	प्रोजेक्ट डायरेक्टर, गजापति
उड़ीसा	श्री बिदेश घोष	सहायक प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आर.एच.)
उड़ीसा	श्री अमुल्य बॉउल	सहायक प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आर.एच.)
झारखण्ड	श्री यतेंद्र प्रसाद	एडिशनल सेकेट्री सह नोडल ऑफिसर
झारखण्ड	श्री नागेन्द्र सिन्हा	डिप्टी डेव. कमिश्नर
झारखण्ड	श्रीमती श्यामा	वित्त विशेषज्ञ
झारखण्ड	श्री सुवेन्दु सिंह	प्रशिक्षण विशेषज्ञ
झारखण्ड	श्री विनोद रंजन	आई.टी. एवं एम.आई.एस. विशेषज्ञ
बिहार	श्री राजेश परिमल	डिप्टी सेकेट्री, बिहार
बिहार	श्री मिरिनल मृणाल	प्रोग्राम ऑफिसर, बी.आर.डी.एस. पटना
छत्तीसगढ़	श्रीमती सीमा मिश्रा	डिप्टी कमिश्नर
छत्तीसगढ़	श्री सुधीर कुमार तिवारी	असिस्टेन्ट इंजीनियर
छत्तीसगढ़	श्री संदीप सुंदरानी	प्रोग्राम मैनेजर
छत्तीसगढ़	श्री कैलाश सिंह ठाकुर	प्रोग्राम मैनेजर
छत्तीसगढ़	श्री प्रकाश परिहार	प्रोग्रामर
छत्तीसगढ़	श्री अनिल शर्मा	जिला कोऑर्डिनेटर

की तथा सह अध्यक्षता श्री संतोष कुमार द्वारा की गयी। द्वितीय सत्र में उड़ीसा के प्रस्तुतिकरण में अध्यक्ष श्री यतेन्द्र प्रसाद और सह अध्यक्ष श्री अब्दाल अख्तर, तृतीय सत्र में पश्चिम बंगाल द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया। इस सत्र के अध्यक्ष श्री राजेश परिमल और सह अध्यक्ष श्री नागेन्द्र सिन्हा रहे। पाँचवें सत्र में झारखण्ड ने प्रस्तुति दी। इस सत्र के अध्यक्ष थे श्री सुकान्ता त्रिपाठी तथा सह अध्यक्षता श्रीमती सीमा मिश्रा द्वारा की गयी। छठवें सत्र में छत्तीसगढ़ ने प्रस्तुति दी जिसकी अध्यक्षता श्री निलय बनर्जी द्वारा की गयी तथा सह अध्यक्ष थे श्री संतोष कुमार। मध्यप्रदेश द्वारा सातवें सत्र में प्रस्तुतिकरण किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता श्री चंचल राना तथा सह अध्यक्षता श्री राजेश कुमार द्वारा की गयी। प्रस्तुतिकरण के बाद बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सभी छह राज्यों के तकनीकी अधिकारियों द्वारा आवास योजना के पोर्टल पर आने वाली समस्या के समाधान के लिए समूह चर्चा की गयी।

इस दो दिवसीय कार्यशाला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सुचारू संचालन और क्रियान्वयन के लिए होने वाले नवाचारों और बेस्ट प्रेक्टिसेस को कार्यशाला में शामिल छः प्रतिनिधियों ने साझा किया। कार्यों और विशेषताओं के आदान-प्रदान में राज्यों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, कई समस्याओं के समाधान हुए और विकास के लिए नई संभावनाएं विकसित हुईं। उम्मीद है कि कार्यशाला में शामिल राज्यों के कार्य अनुभव तथा नवाचारों के आदान-प्रदान से हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने में योजना के लक्ष्यों के बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे जो गरीब ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास देकर उनका अपने घर का सपना साकार करने की दिशा में नया आयाम स्थापित करेंगे। यही इस कार्यशाला का उद्देश्य है और सरकार का संकल्प।

● **प्रस्तुति : समीर शास्त्री**

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

मध्यप्रदेश में किये गये नवाचार और विशेष कार्य

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन और उपलब्धि में मध्यप्रदेश सबसे आगे है। प्रदेश द्वारा यह स्थान प्राप्त करने के पीछे मुख्य कारण है अपर मुख्य सचिव का सतत् मार्गदर्शन, मॉनिटरिंग और नवाचारों का निर्माण। प्रदेश में पहले 40 हजार राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण और फिर 9 हजार महिला राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के कार्य ने मध्यप्रदेश को योजना के अमल को लेकर विशेष राज्य का स्थान दिलाया है। राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण से प्रशिक्षित हाथों से आवास निर्माण की गुणवत्ता बढ़ी है। वहीं राजमिस्त्रियों की उपलब्धता से कार्य में तेजी आयी और प्रदेश 13.44 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर अग्रणी राज्य बन गया है। कम लागत में आवास निर्माण, ईकोफ्रेंडली स्थानीय मटेरियल का उपयोग, स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षित कर ईंटों के निर्माण के लिए प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना जैसे नवाचारों और विशिष्ट कार्यों से मध्यप्रदेश की अपनी अलग पहचान है। प्रस्तुत है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किये गये नवाचारों और विशेष कार्यों के मुख्य बिन्दु।

- देश में सर्वाधिक 13.44 लाख से अधिक आवासों का निर्माण।
- प्रदेश के 17 हजार भूमिहीन आवासहीनों में से 14 हजार लोगों को पंचायत के माध्यम से भू-अधिकार-पत्र दिए जाकर आवास निर्माण करवाये गए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन के लिए एम.क्यू. अर्थात मेन, मटेरियल तथा मेशन की रणनीति अपनाई गयी। जिसके तहत मैन पावर के साथ मेशन ट्रेनिंग तथा मटेरियल को क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध किया गया।
- 60 प्रतिशत आवास अनुसूचित जाति एवं जनजाति को तथा 40 प्रतिशत अन्य बी.पी.एल. हितग्राहियों को प्रदाय।
- महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर द्वारा केन्द्रीय कौशल विकास परिषद् के मार्गदर्शन में 50 हजार से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया।
- देश में पहली बार नौ हजार महिला राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण।
- आवासों को तीव्र गति और उत्कृष्ट आवासों के निर्माण का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए पंचायत एवं जनपद स्तर पर पदस्थ अधिकारियों को तैनात किया।
- प्रदेश स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा की जाती है।
- प्रदेश स्तर पर विभाग में पदस्थ प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को लगभग चार विकासखण्ड आवंटित कर नियमित पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया।
- जनपद स्तर पर वेन्डर की सूची उपलब्ध की गई।

छह राज्यों के प्रतिनिधियों ने
मध्यप्रदेश के नवाचारों को प्रत्यक्ष देखा

कम लागत में आवास निर्माण, ईकोफ्रेंडली स्थानीय मटेरियल का उपयोग, स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षित कर ईंटों के निर्माण के लिए प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना जैसे नवाचारों और विशिष्ट कार्यों से मध्यप्रदेश की अपनी अलग पहचान है।

- पानी की कमी वाले जिलों में अस्थाई होदी (टैंक) का निर्माण किया गया ताकि आवास निर्माण अनवरत चले।
- पंचायत स्तर पर स्वीकृत आवास के लिए मेन टू मेन टैगिंग की व्यवस्था।
- जिला, जनपद, पंचायत स्तर की समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का अपना वाट्सएप ग्रुप है। जिसमें गतिविधि, समस्या तथा समाधान को साझा किया जाता है।
- जियो टैगिंग के द्वारा आवास निर्माण की हर स्तर की फोटो अपलोड की जाती है।
- आवास सॉफ्ट के माध्यम से बिना किसी व्यवधान के राशि सीधे हितग्राही के खाते में जाती है।
- **कम लागत में आवास निर्माण की योजना :** कम लागत में मकान बनाने के लिए, ईकोफ्रेंडली तथा स्थानीय मटेरियल का उपयोग किया जायेगा।

भोपाल में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्देश्य योजना के क्रियान्वयन में किये गये विशेष प्रयासों और नवाचारों का आदान-प्रदान करना था। प्रदेश में सक्रिय स्व-सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर ईंटों के निर्माण की प्रोडक्शन यूनिट स्थापित की जायेगी, इससे स्थानीय मटेरियल मिलने के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी।

कार्यशाला के पहले दिन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश इन छह राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने प्रदेशों के विशेष कार्यों और नवाचारों

को साझा किया। समस्याओं को लेकर चर्चा हुई और समाधान तलाशे गये। कार्यशाला का दूसरा दिन आवास कार्यों को प्रत्यक्ष देखने का अवसर था।

कार्यशाला में शामिल श्री प्रशांत कुमार जी अपर सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, श्री शैलेष कुमार उपसचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. दिलीप कुमार निदेशक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्यप्रदेश सहित आमंत्रित छह राज्यों के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र भ्रमण किया। सभी अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने प्रदेश में आवास निर्माण के लिए किये गए नवाचार, राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण और समस्याओं के निराकरण के लिए किये गए उपायों को प्रत्यक्ष देखा।

यह भ्रमण सीहोर जिले के इछावर विकासखण्ड के आर्या और मूंडला गांव में भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा राजमिस्त्रियों विशेषकर महिला राजमिस्त्रियों से आवास निर्माण के तकनीकी पक्ष को लेकर प्रश्न पूछे गये।

अधिकारियों ने जब राजमिस्त्री महिलाओं से पूछा कि सेंट्रिंग कैसे की जाती है तो उन्होंने इसकी सम्पूर्ण प्रोसेस बताई। महिलाओं ने उत्साहित होकर यह भी बताया कि छत पर कांक्रीट कैसे करते हैं। फिर शटरिंग की क्या प्रोसेस है। मचान बनाना, कांक्रीट डालकर कन्नी से प्रेस करना आदि। सभी तकनीकी पक्षों पर पूछे गये प्रश्नों के महिलाओं ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिये। तराई को लेकर पूछा तो सम्पूर्ण जानकारी देकर महिलाओं ने बताया कि छत की तराई कम से कम 15 दिन तो करना ही चाहिए। इस तरह महिला राजमिस्त्रियों द्वारा संतोषजनक उत्तर दिया गया। इससे यह बात स्पष्ट हो गयी कि राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण इतने अच्छे से दिया गया कि प्रदेश के अकुशल राजमिस्त्री अब कुशल राजमिस्त्री बन गये। यही तो विशेषता है मध्यप्रदेश में राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण को लेकर किये गये विशेष प्रयास की।

मध्यप्रदेश के इन प्रयासों को कार्यशाला के दूसरे दिन प्रांतों के प्रतिनिधियों ने जाना। जिसे देखकर सभी संतुष्ट भी हुए और प्रेरित भी। उम्मीद की जा रही है कि नवाचारों के आदान-प्रदान से आवास निर्माण की प्रक्रिया को नई ऊंचाईयां प्राप्त होंगी।

● **प्रस्तुति : रीमा राय**

पांच चरणों में राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण
पुरुषों के अलावा महिलाओं ने भी दिखाई सहभागिता

इछावर तहसील के 162 कारीगरों को मिला कुशल कारीगरों का प्रशिक्षण

गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें कुशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सीहोर जिले के इछावर तहसील में राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंर्तगत दिया गया। गौरतलब है कि इछावर तहसील में यह प्रशिक्षण पहली बार 23 अक्टूबर 2017 से 2 दिसंबर 2017 तक शुरू हुआ। उसके बाद अगस्त 2019 से अब तक यह प्रशिक्षण अलग-अलग पांच चरणों में संपन्न हुआ। इसकी शुरुआत ग्राम पंचायत भाउखेड़ी से हुई। यह राजमिस्त्री प्रशिक्षण का प्रथम चरण था। जिसमें 162 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इसमें 118 पुरुष और 44 महिलाएं शामिल हुईं। खास बात यह है कि यह प्रशिक्षण शिविर 45 दिवस का था। इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य गांव स्तर पर कुशल कारीगरों को तैयार करना, ताकि वो अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाकर काम करने से बचें। इस अवसर पर बतौर विशेषज्ञ डेमोस्ट्रेटर के रूप में कपिल, प्रकाश, धर्मेंद्र, सचिन, आशीष जगदीश शामिल हुए। इसके अलावा उपयंत्री जनपद पंचायत, इछावर प्रियंका सिंह, भावना नागवंशी, सुशांत श्रीवास्तव, ब्लॉक समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) इछावर अरूण मुकाती शामिल हुए।

गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें कुशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सीहोर जिले के इछावर तहसील में राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दिया गया। गौरतलब है कि इछावर तहसील में यह प्रशिक्षण पहली बार 23 अक्टूबर 2017 से 2 दिसंबर 2017 तक शुरू हुआ। उसके बाद अगस्त 2019 से अब तक यह प्रशिक्षण अलग-अलग पांच चरणों में संपन्न हुआ।

हर चरण में शामिल प्रतिभागियों की क्रमवार सूची

पहला चरण - 30 प्रतिभागी शामिल हुए ग्राम पंचायत भाउखेड़ी के।

दूसरा चरण - 30 प्रतिभागी पुरुष शामिल हुए ग्राम पंचायत रामदसी के।

तीसरा चरण - 30 प्रतिभागी पुरुष, ग्राम पंचायत गाजीखेड़ी के शामिल हुए।

चौथा चरण - 30 प्रतिभागी शामिल हुए। इनमें 28 पुरुष और 2 महिलाएं ग्राम पंचायत मूंडला की शामिल हुईं।

पांचवां चरण - 42 प्रतिभागी शामिल हुए जिनमें 42 महिलाएं ग्राम पंचायत आर्या की शामिल हुईं।

प्रशिक्षण शिविर में यह दी गई जानकारी

प्रशिक्षण शिविर के दौरान सबसे पहले प्रतिभागियों को समकोण बनाना यानी भवन की चारों कोने की चौहट्टी बनाना सिखाया गया। इसके बाद वॉटर ट्यूब का प्रयोग, लेवल मिलाने के लिए सिखाया गया। फिर नींव के गड्ढों की खुदाई व भराई का कार्य करना बताया गया। प्लिंथ भरने तक नींव का निर्माण व मसाला बनाना और इसकी तैयारी के लिये बारीकियां बताई गईं। ईंटों और ब्लॉक की चिनाई इंग्लिस बोंड, प्वाइटिंग जोड़ आदि की स्टेप की जानकारी दी गई। दरवाजे एवं खिड़की को लगाने का तरीका एवं लिन्टल और छज्जे का निर्माण आदि के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया।

उसके बाद कांक्रीट फर्श, दीवार का प्लास्टर, सरिये का काटना और तोड़ना, कालमों और बीमों में सरिये को स्थापित करना, स्लेब के लिए सरिये को बांधना लकड़ी के शटर बोर्ड का निर्माण कांक्रीट कालम एवं स्लेब के लिए शटरिंग करने के अलावा मचान की स्थापना करने के बारे में बताया गया।

प्रशिक्षण पूर्व प्रतिभागियों में यह था अभाव

- तकनीकी ज्ञान का अभाव
- प्रशिक्षण के पूर्व उनकी मानसिकता एक मजदूर तक ही सीमित थी।
- प्रशिक्षण के पूर्व रोजगार का अभाव था।
- प्रशिक्षण के पूर्व किसी प्रकार की स्वयं की सुरक्षा का ज्ञान नहीं था।
- प्रशिक्षण पूर्व शिक्षा के स्तर पर काफी कमियां थीं।
- प्रशिक्षण पूर्व टूल्स का ज्ञान नहीं था।
- पहले दैनिक मजदूरी 100 से 150 मिलती थी।

प्रशिक्षण बाद यह परिवर्तन आया

- तकनीकी स्तर से कार्य करने में सक्षम।
- प्रशिक्षण के पश्चात स्वयं का कौशल तथा ज्ञान में वृद्धि हुई, एक राजमिस्त्री वाली मानसिकता जागृत हुई।
- प्रशिक्षण के पश्चात रोजगार के सुनहरे अवसर मिले, ग्रामीण क्षेत्र में उनके कार्य का कद बड़ा।
- प्रशिक्षण के उपरांत हेलमेट, चश्मा, जूते, सेफ्टीबेल्ट आदि सुरक्षात्मक वस्तुएं अपनाने लगे।
- प्रशिक्षण उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आया बच्चे स्कूल जाने लगे।
- प्रशिक्षण पश्चात समस्त टूल्स उपयोग करने लगे।
- प्रशिक्षण पश्चात मजदूरी 300 से 500 रुपये तक मिलने लगी।

क्या है आवास योजना का सिद्धांत

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रदेश में वर्ष 2018-19 के तीन वर्षों में 11 लाख 78 हजार आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

योजना अंतर्गत चिन्हित हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए चार किश्तों में शासन द्वारा 1 लाख 20 हजार रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही साथ मनरेगा योजना से हितग्राही को 100 दिवस की मजदूरी तथा 5 फलदार, छायादार वृक्षों के लिए 5 हजार रुपये प्रदान करने का प्रावधान भी रखा गया है।

प्रशिक्षण के बाद यह मुख्य बदलाव आया

तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ नवल मीणा ने बताया कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले इन लोगों को प्रशिक्षण मिलने के बाद इनमें काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब यह सभी इतने सक्षम हैं कि सकुशल राजमिस्त्री के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं।

● **प्रस्तुति : हेमलता हुरमाड़े**

राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

आरोन जनपद ने किये नवाचार

मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अमल में देश में सबसे आगे है। प्रदेश ने देश के सर्वाधिक आवास बनाये हैं। आवास निर्माण के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए प्रदेश में एक सुनियोजित योजना बनाई गई। आवास की गुणवत्ता के लिए कारीगरों का कुशल होना जरूरी है। बड़ी संख्या में कुशल कारीगरों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती थी। मध्यप्रदेश में इस चुनौती का हल प्रशिक्षण से निकाला गया और प्रदेश में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। चरणबद्ध स्वरूप में आयोजित प्रशिक्षण में प्रदेश में 40 हजार राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया। राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण का पहला चरण 2017 में तथा दूसरा 2019 में सम्पन्न हुआ। यह प्रशिक्षण महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की दक्षता की पूर्ण परीक्षा लेने के बाद ही राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् द्वारा सर्टीफाई किया गया। इस तरह प्रदेश में लगभग 40 हजार प्रशिक्षित राजमिस्त्री निर्मित किये गये। प्रदेश के गुना जिले के आरोन जनपद द्वारा राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण के दौरान कई नवाचार हुए। प्रशिक्षण के लिए पहले चौपाल का आयोजन हुआ। राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण के साथ भत्ता दिये जाने की जानकारी दी गयी। कई चरणों में आयोजित यह प्रशिक्षण श्रमसाध्य होने के साथ तकनीकी भी है। इसे पूर्ण करना अपने आप में एक चुनौती था। आरोन जनपद सी.ई.ओ., ब्लॉक समन्वयक व तकनीकी अधिकारियों ने मिलकर इसे सहज बनाया।

प्रशिक्षण अनवरत चले इस हेतु एक अस्थाई हौद का निर्माण किया और प्रशिक्षण के दौरान पानी की कमी

नहीं होने दी। इस तरह लगातार कई नवाचार किये गये और राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण पूर्ण किया। इससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार की संभावनाएं कई गुना बढ़ गई हैं और मजदूरी की राशि में भी गुणात्मक वृद्धि हुई है। राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण की शुरुआत और उसके विस्तार को लेकर जब गुना जिले के आरोन जनपद के ब्लॉक समन्वयक भारत भूषण आर्य से बात की तो उन्होंने बताया कि शुरुआत में जब हमने राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए लोगों से पूछा तो ग्रामीणों ने कहा कि नहीं कर पायेंगे। हमने हिम्मत दिलाई, उस समय थोड़ा मुश्किल लगा।

जनपद पंचायत सी.ई.ओ. डॉ. अजीत कुमार तिवारी जी ने हमें भी प्रेरित किया और गाँव वालों को भी। इस पूरी प्रक्रिया में वे हमारे साथ रहे, हमें मार्गदर्शित भी करते थे, हिम्मत भी देते थे और मॉनिटरिंग भी करते थे। उनके प्रोत्साहन और कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग से हम इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से पूरा कर सके और समय-समय पर नवाचार भी किये गये।

कितने चरणों में और कितने लोगों को किया प्रशिक्षित

आरोन में 4 चरणों में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक चरण में 35 लोगों को प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर द्वारा केन्द्रीय कौशल विकास परिषद् के मार्गदर्शन में सम्पन्न कराया गया।

कैसे दिया जाता है प्रशिक्षण

प्रत्येक व्यक्ति 7 आवासों पर कार्य करते हैं। एक आवास पर 5 लोगों द्वारा कार्य किया जाता है। उन्हें एक डिमांस्ट्रेटर द्वारा कार्य सिखाया जाता है। इस तरह लगातार 7 आवासों पर कार्य करने के उपरान्त राजमिस्त्री प्रशिक्षित हो जाते हैं। राजमिस्त्रियों को 45 दिन के प्रशिक्षण के बाद परीक्षा देनी होती है। पहले चरण में 35 लोगों में से 33 लोग उपस्थित थे। 2 लोग बाहर गये थे इसलिए नहीं आ पाये। अच्छी बात यह है कि ये सभी लोग उत्तीर्ण हो गये। अब हमारे यहाँ पांचवां चरण शुरू होने वाला है जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी है।

● **प्रस्तुति : ज्योति राय**

सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक पहल

महिला राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनने के लिए प्रदेश की 9 हजार महिलाओं को राजमिस्त्री बनाने का प्रयास किया गया। यह प्रयास कतई साधारण नहीं है। यह समाज परिवर्तन की दिशा में प्रभावी कदम है।

चूंकि अब तक राजमिस्त्री का कार्य पुरुषों द्वारा किया जाता रहा है। इस कार्य को करने में पुरुषों का अधिकार था। महिलाएं सामान ढोने, तगारी उठाने के कार्य बतौर सहायक किया करती थीं। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत महिला राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश, श्रीमती गौरी सिंह द्वारा योजना को मूर्त रूप दिया गया। महिला राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की मॉनिटरिंग श्रीमती सिंह स्वत: करती रहीं। उनका मानना था कि यह सामाजिक बदलाव का कार्य है। इसमें विरोध भी होंगे, चुनौतियाँ भी रहेंगी। उसी अनुरूप अपर मुख्य सचिव ने रणनीति तैयार की और इस प्रशिक्षण को मूर्त रूप दिया गया। यह प्रशिक्षित महिला राजमिस्त्री अब मजदूर नहीं राजमिस्त्री बन गयी हैं और उनकी मजदूरी मात्र 150 नहीं, लगभग 500 रुपये तक है। प्रशिक्षित महिलाओं के राजमिस्त्री बनने से महिलाओं के लिए रोजगार के नये द्वार खुल गये हैं। वहीं सकारात्मक सामाजिक बदलाव की दिशा में नई इबारत लिख दी गयी है।

प्रशिक्षण में क्या समस्याएं आयीं

अरुण मुकाती, ब्लॉक समन्वयक, इछावर ने महिला राजमिस्त्री प्रशिक्षण की शुरुआत में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया कि पहले दिन चौपाल में जब हमने महिला राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण को लेकर बात की तो गांव के पुरुषों और महिलाओं दोनों ने सिरे से नकार दिया। हम निराश नहीं हुए। हमने दूसरी बार बात की और गांव की महिलाओं से पूछा कि आपको एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती है। उन्होंने बताया 150 रुपये। हमने कहा यदि आपको एक दिन की मजदूरी 300 या 350 मिलने लगे तो कैसा रहेगा? सभी ने एक स्वर में कहा यह तो बहुत अच्छा है। अन्ततः वे महिलाएं राजमिस्त्री का प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने पूछा हमें करना क्या है? हमने उन्हें बताया कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7 मकानों के निर्माण के दौरान राजमिस्त्री का काम सीखना है और काम करना है। इसमें आपको मजदूरी 150 रुपये और प्रशिक्षण के 100 रुपये कुल 250 रुपये मिलेंगे, महिलाओं ने एक स्वर में सहमति दे दी। अब विरोध में समाज खड़ा हो गया। विशेषकर गांव के पटेल लोगों ने कहा आप हमारे गांव की महिलाओं को भड़का रहे हैं, उनसे उल्टा-सीधा काम करने के लिए कह रहे हैं। ये महिलाओं का काम नहीं है, पुरुषों का काम है, ऐसी तमाम बातें और प्रश्न उठे।

ऐसे हुई शुरुआत

चूंकि महिलाओं ने तय कर लिया था, इसलिए उन्होंने कदम बढ़ा दिया। महिलाओं का प्रशिक्षण शुरू हो गया। पहला सप्ताह परेशानी में बीता। राजमिस्त्री का कार्य तकनीकी होता है। महिलाओं को उसे समझने में समय लगा। गोला, इंच टेप आदि से नापने की प्रक्रिया महिलाओं के लिए नई भी थी और अटपटी भी। इछावर जनपद में लगभग 33 से 37 महिलाओं ने कुशल रोजगार का प्रशिक्षण लिया। आरंभ में वे सभी चुनाई करने में हिचकिचा रही थीं। हमने उनका मनोबल बढ़ाया, लगभग दो सप्ताह बाद हमें ग्राम पंचायत आर्या की रामलता चुनाई करती दिखीं, हमें लगा अब प्रशिक्षण संभव है। प्रशिक्षण के 22 चरण थे जिनमें समकोण बनाना,

चौखट्टी निकालना, क्षेत्र का लेबल जांचना, लेआउट, गड्ढों की खुदाई, प्लिंथ तक नींव निर्माण, चुनाई का मसाला बनाना, ईंट की चुनाई, दरवाजे, खिड़की लगाना, गोला और गुनिया से लेवल लेना, शेल्फ बनाना, प्लास्टर करना, सरिया काटना, सरिया मोड़ना, कॉलम और बीम को भरने की पद्धति, छत पर सरिया बांधना, सरिये पर दूरी के माप का ध्यान रखना, इन तमाम तकनीकी पक्ष के बारे में तथा बारीकियों को महिलाओं ने सीखा और राजमिस्त्री का प्रशिक्षण पूर्ण किया।

सवालों पर खरी उतरीं महिलाएं

प्रशिक्षण संस्थान बरखेड़ी की प्रिंसिपल जब आर्या गांव भ्रमण पर गयीं तो उन्होंने कार्य को जांचने की प्रक्रिया के तहत पूछा कि दोनों ईंट के बीच के भाग को क्या कहते हैं? एलूबाई ने अंग्रेजी को तोड़ते हुए जवाब दिया रलिंग अर्थात रेंकिंग। चुनाई के मसाले के बारे में पूछने पर महिलाओं ने बताया 1 तगारी सीमेंट और 4 तगारी रेत डालकर मसाला बनता है। फ्लोरिंग के मसाले के बारे में पूछने पर महिलाओं ने बताया 1:4:6 अर्थात् 1 सीमेंट, 4 रेत और 6 गिट्टी। सरिया काटने को लेकर पूछे गये प्रश्न के उत्तर में तो हीरामणि बाई ने पूरी प्रक्रिया ही बता दी और यह भी बताया कि छत पर 12 एम.एम. का सरिया बांधा जाता है। महिलाओं की समझ को देख क्षेत्रीय ग्रामीण संस्थान भोपाल की प्राचार्या श्रीमती प्रीती गुप्ता आश्चर्यचकित रह गयीं।

क्या आया बदलाव

महिलाओं द्वारा राजमिस्त्री का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद गांव के लोगों की मानसिकता बदल गयी है। महिलाओं का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। जहाँ उन्हें पहले मात्र 150 रुपये मिलते थे वहां अब उन्हें प्रशिक्षण के दौरान 350 रुपये मिल रहे हैं। राजमिस्त्री बनने के बाद वे 500 रुपये से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करेंगी। सबसे बड़ी बात अब ये महिलाएं मजदूर नहीं राजमिस्त्री बन गयी हैं।

● **डॉ. विद्या शर्मा**

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की पहल पर

प्रदेश में बनेंगी 100 हाईटेक गौ-शालाएँ

बिड़ला उद्योग समूह के श्री कुमार मंगलम बिड़ला ने दी सहमति

बिड़ला समूह की सामाजिक जिम्मेदारी निधि से बनाई जाएंगी गौ-शालाएँ

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की पहल पर बिड़ला उद्योग समूह के श्री कुमार मंगलम बिड़ला ने मध्यप्रदेश में 100 हाईटेक गौ-शालाओं का निर्माण करने पर अपनी सहमति दे दी है। ये गौ-शालाएँ अगले 18 महीनों में बिड़ला समूह की सामाजिक जिम्मेदारी निधि से बनाई जाएंगी। श्री कुमार मंगलम बिड़ला ने गत दिनों मुंबई में मध्यप्रदेश के उद्योग परिदृश्य पर श्री कमल नाथ से चर्चा की। श्री कमल नाथ ने रोजगार निर्माण के लिये नये उद्योगों में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया।

रोजगार के लिये निवेश

श्री कमल नाथ ने कहा कि निवेश और विश्वास परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। मध्यप्रदेश विश्वास का वातावरण बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता है निवेश के साथ-साथ रोजगार निर्माण हो। रोजगार के बिना औद्योगिक विकास मध्यप्रदेश जैसे राज्य के लिये अर्थपूर्ण नहीं है। मध्यप्रदेश में कौशल सम्पन्न, प्रतिभाशाली और मेहनती युवा शक्ति की कमी नहीं है। उन्हें सिर्फ रोजगार के अवसर चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र के लिये अलग निवेश नीति बनाई जायेगी। सभी क्षेत्रों की आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं। एक ही नीति सभी क्षेत्रों के लिये उपयुक्त नहीं हो सकती। श्री कमल नाथ ने कहा कि ड्राई पोर्ट, सैटेलाइट शहर, उच्च-स्तरीय कौशल विकास केन्द्र, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में मध्यप्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाना है।

ई-रिक्शा और ई-आटो निर्माण पर चर्चा

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के प्रबंध संचालक श्री पवन गोयनका से ई-रिक्शा और ई-आटो निर्माण की संभावनाओं पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है। देश के अन्य राज्यों में इस दिशा में हुए कार्यों का अध्ययन कर मध्यप्रदेश के लिये एक आदर्श नीति बनाई जाएगी।

1461 महिला स्व-सहायता समूहों को

राशन दुकान आवंटित

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए 1461 महिला स्व-सहायता समूहों को राशन दुकानें आवंटित की गई हैं। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के 5 करोड़ 46 लाख हितग्राहियों को 24 हजार 713 दुकानों के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में राशन दुकान अनिवार्य रूप से खोली जाए। उन्होंने बताया कि गत वर्ष तक प्रदेश में 5199 ग्राम पंचायतों में राशन दुकानें नहीं थीं। पिछले 7 माह में 2499 ग्राम पंचायतों में नवीन दुकानें खोली गई हैं। इनमें से 1461 दुकानों के संचालन का दायित्व महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया है। शेष ग्राम पंचायतों में अक्टूबर माह तक दुकानें खोली जाएंगी।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा मुम्बई में

मध्यालोक भवन का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने 8 अगस्त को मुम्बई में मध्यप्रदेश के नए भवन मध्यालोक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुंबई में मध्यप्रदेश भवन बनने के बाद प्रदेश से पर्यटन, व्यापार और चिकित्सा सुविधा के लिये आने वाले लोगों को लाभ होगा। साथ ही शासकीय कार्य से आने वालों को भी आवास सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश हित में भवन के अधिकाधिक उपयोग किये जाने पर भी विचार किया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशने होंगे। युवा पीढ़ी से ही प्रदेश और देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि मध्यप्रदेश विकसित राज्य बनकर उभरे और महाराष्ट्र भी मध्यप्रदेश में अपने भवन का निर्माण करने के लिये प्रेरित हो। साथ ही अन्य राज्य भी मध्यप्रदेश में अपने-अपने भवन का निर्माण करें।

सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह और पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। आयोजन में मुख्य सचिव श्री सुधि रंजन मोहन्ती, रेरा के अध्यक्ष श्री अन्टोनी डिसा और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मध्यप्रदेश के प्रथम आवासीय आयुक्त श्री आई.सी.पी. केशरी ने मध्यालोक भवन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की व्यवसायिक राजधानी में मध्यप्रदेश से विभिन्न कार्यों के लिए आने वालों की जरूरत देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने वाशी, नवी मुम्बई में नये मध्यप्रदेश भवन ''मध्यालोक''का निर्माण किया है। लगभग 88.264 करोड़ रुपये लागत से यह भवन बनाया गया है। मध्यालोक का निर्माण मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से 9 प्रतिशत सुपर विजन चार्जेस देकर मेसर्स वायेन्टस सॉल्यूशन प्रा. लि., गुरूग्राम द्वारा किया है। मध्यालोक 3817.20 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया में निर्मित है। भवन में दो वी.वी.आई.पी. सूट, तीन वी.आई.पी. सूट, 6 डीलक्स कक्ष, 18 स्टैंडर्ड कक्ष एवं दो डॉरमेट्री, आवासीय आयुक्त कक्ष और ऑफिस स्पेस का प्रावधान किया गया है। भवन के तकनीकी कार्यों में इलेक्ट्रिकल पेनल ट्रांसफार्मर, एचटी पेनल, बीएमएस, एचवीएसी, डीजीसेट, फायरपम्प, एचटीपी, चिलिंग प्लांट, वाटर सॉफ्टनर प्लांट, वेन्टीलेशन सिस्टम, कूलिंग टावर, सोलर वाटर हीटर, चार लिफ्ट, ऑटो मेशन सिस्टम आदि का प्रावधान है। मध्यालोक में ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल आदि का भी निर्माण किया गया है।

> **युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशने होंगे। युवा पीढ़ी से ही प्रदेश और देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा हमारा प्रयास है कि मध्यप्रदेश विकसित राज्य बनकर उभरे। महाराष्ट्र भी मध्यप्रदेश में अपने भवन का निर्माण करने के लिये प्रेरित हो। साथ ही अन्य राज्य भी मध्यप्रदेश में अपने-अपने भवन का निर्माण करें।**

प्राकृतिक संतुलन के लिये
जल, जंगल, जमीन का संरक्षण आवश्यक

मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, क्लब ऑफ रोम इंटरनेशनल संस्था तथा राजीव गांधी फांउडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 'री-जनरेटिंग नेचुरल कैपिटल लैण्ड, वाटर एण्ड फॉरेस्ट' पर 27 व 28 अगस्त को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि बिगड़ते हुए प्राकृतिक संतुलन को संवारने के लिये जल, जंगल, जमीन का संरक्षण आवश्यक है। यह सामुदायिक भागीदारी से संभव है।

भारत सहित अन्य विकसित और विकासशील देशों में विकास की दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुंध दोहन किया गया है। इसका परिणाम है कि प्रकृति द्वारा नि:शुल्क प्रदत्त जल, जंगल, जमीन का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। अगर अभी भी हम नहीं चेते तो परिणाम भयावह होंगे। इसके लिये समाज को भी आगे आना चाहिए।

जल, जंगल और जमीन
एक-दूसरे के पर्याय

कार्यशाला में जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा है कि जल, जंगल, जमीन तीनों एक-दूसरे के पर्याय हैं। पर्यावरण संतुलन के लिये तीनों में सामंजस्य जरूरी है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने भोपाल प्रवास के दौरान कहा था कि 'भोपाल बहुत सुन्दर शहर है, इसे और सुन्दर बनाने की आवश्यकता है।' भोपाल शहर के मध्य स्थित तालाब, पहाड़, जंगल प्राकृतिक सौन्दर्य को दो-गुना करते हैं।

> **जल, जंगल, जमीन तीनों एक-दूसरे के पर्याय हैं। पर्यावरण संतुलन के लिये तीनों में सामंजस्य जरूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने भोपाल प्रवास के दौरान कहा था कि 'भोपाल बहुत सुन्दर शहर है, इसे और सुन्दर बनाने की आवश्यकता है।' भोपाल शहर के मध्य स्थित तालाब, पहाड़, जंगल प्राकृतिक सौन्दर्य को दो-गुना करते हैं।**

भू-जल पर निर्भरता
कम करने की जरूरत

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा कि गत वर्षों में भू-जल के बिना सोचे-समझे दोहन ने गंभीर स्थिति निर्मित कर दी है। पेयजल के लिए भू-जल पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पानी के ऑडिट का काम हाथ में लिया गया है। राइट-टू-वाटर के तहत प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त, शुद्ध और नियमित पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य है। संचालक वाल्मी श्रीमती उर्मिला शुक्ला ने बताया कि कार्यशाला में प्रकृति की अमूल्य धरोहर को सहेजने संवारने के संबंध में विषय विशेषज्ञों द्वारा दिये गये, सुझावों पर एक रिसर्च पेपर तैयार कर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यशाला में क्लब ऑफ रोम के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल श्री अरूण कुमार साहनी, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एवं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य डॉ. किरीट पारिख, लेफ्टिनेंट जनरल श्री बलवीर सिंह सन्धू, डॉ. अशोक खोसला, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी स्टडीज के निदेशक श्री विजय महाजन सहित अन्य विषय-विशेषज्ञों ने भी अपने विचार रखे।

योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल की उपस्थिति तथा खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल की अध्यक्षता में सीधी जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला रोगी कल्याण समिति एवं जिला शहरी विकास अभिकरण की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। अधिकारी पूरी ऊर्जा के साथ लोगों की समस्याओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता बतलाई।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिये योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि लोगों को शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों के विषय में अधिकाधिक जागरूक बनाया जाये।

उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को जले हुए ट्रान्सफार्मर को तत्काल बदलने तथा अभियान चलाकर लो-वोल्टेज की समस्या दूर करने के निर्देश दिये। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने इन्द्रा गृह ज्योति योजना का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाने को कहा।

बैठक में जिला खनिज प्रतिष्ठान की कुल राशि 12 करोड़ 85 लाख रुपये से किये जाने वाले कार्यों के लिए स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेने का निर्णय लिया। जिला रोगी कल्याण समिति द्वारा जिला चिकित्सालय के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिये समिति गठित

राज्य शासन ने प्रदेश में आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण की अध्यक्षता में अभिषरण समिति का गठन किया है। इस समिति की योजना के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका रहेगी। समिति विभिन्न विभागों की नियमित योजना और अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्राप्त होने वाले बजट आवंटन के कन्वर्जस आदि विषयों पर चर्चा करेगी। समिति समय-समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी।

समिति में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला-बाल विकास, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, गृह, लोक निर्माण, जल संसाधन, ऊर्जा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य मनोनीत किया गया है।

समिति में सचिव अनुसूचित जाति आयोग और जिला कलेक्टर को सदस्य बनाया गया है। दूरसंचार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र और राज्य स्तरीय लीड बैंक के प्रतिनिधि भी समिति के सदस्य होंगे। आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण को समिति में सदस्य सचिव बनाया गया है।

संशोधित स्वरूप में प्रभावशील होगी

इंदिरा गृह ज्योति योजना

मध्यप्रदेश में इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जायेगा, जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक हो। इसके लिये दो रीडिंग की तारीख के बीच के अंतर के आधार पर आनुपातिक मासिक खपत पात्रता के रूप में निर्धारित की जायेगी। उदाहरण स्वरूप 27 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता के लिये मासिक खपत 135 यूनिट होगी और 35 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता के लिये मासिक खपत 175 यूनिट होगी। प्रत्येक मासिक रीडिंग के लिये निर्धारित मासिक खपत 'पात्रता यूनिट' मानी जायेगी।

योजना में पात्रता यूनिट तक खपत करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपये का बिल दिया जायेगा और 100 यूनिट खपत के लिये म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर से गणना किये गये बिल तथा 100 रुपये के अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कम्पनियों को सब्सिडी के रूप में दी जायेगी।

हितग्राही उपभोक्ताओं द्वारा किसी माह में 100 यूनिट से अधिक परंतु पात्रता यूनिट तक उपयोग की गई खपत पर पहली 100 यूनिट के लिये देय राशि रुपये 100 होगी। मीटर किराया तथा विद्युत शुल्क भी शामिल होंगे। एक सौ यूनिट से अधिक एवं पात्रता यूनिट की सीमा तक शेष यूनिटों के लिये म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी प्रचलित टैरिफ आदेश में निर्धारित दर के अनुसार बिल देय होगा। एक सौ यूनिट से अधिक खपत के कारण नियत प्रभार में वृद्धि होने पर तत्संबंधी अंतर की राशि हितग्राही द्वारा स्वयं वितरण कम्पनियों को देय होगी।

किसी माह में पात्रता यूनिट से अधिक खपत होने पर उपभोक्ता को उस माह में योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसकी पूरी खपत पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से बिल दिया जायेगा। योजना के अंतर्गत एल.वी. श्रेणी 1.1 के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक की मासिक खपत के लिये देयक मात्र 25 रुपये होगा, जिसका इकट्ठा बिल तीन-चार महीनों में दिया जायेगा। अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कम्पनियों को सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं की मासिक खपत 30 यूनिट से अधिक होने पर उन्हें अन्य उपभोक्ताओं के समान मासिक बिल दिया जायेगा। इसमें विगत ऐसे माह की 30 यूनिट तक के देयक की 25 रुपये प्रतिमाह की राशि बिना किसी अधिभार के शामिल की जायेगी, जिनके लिये बिल दिया जाना शेष था।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश में शहरी क्षेत्रों में अनमीटर्ड संयोजन प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। घरेलू उपभोक्ता परिसरों में शत-प्रतिशत मीटर लगाने के लिये वितरण कम्पनियों द्वारा समुचित प्रयास किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के बिलों की गणना आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित श्रेणी एल.व्ही. 1.2 की उप श्रेणी (ii) के अनमीटर्ड संयोजन के लिये लागू दर से की जायेगी। इंदिरा गृह ज्योति योजना के समावेशी स्वरूप में लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही अन्य सभी सब्सिडी समाप्त की जायेगी। योजना के अंतर्गत जारी किये जाने वाले बिल (स्पॉट बिल को छोड़कर) अलग रंग में छापे जायेंगे। बिलों में शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। योजना संशोधित स्वरूप में एक सितम्बर, 2019 एवं इसके बाद प्रारंभ होने वाले आगामी बिलिंग चक्र से लागू की जायेगी।

जिन उपभोक्ताओं के परिसर में पूर्व में मीटर स्थापित थे, वहाँ मीटर खराब होने पर आयोग के मानदण्ड अनुसार खपत का निर्धारण कर बिलिंग की जायेगी। खराब मीटरों को बदलने की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ा जायेगा।

योजना के विस्तारित स्वरूप के क्रियान्वयन के लिये वितरण कम्पनियों एवं पावर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा मैदानी स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा। आगामी बिलिंग चक्र से उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के लिये बिजली कम्पनियों के सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन भी यथाशीघ्र किये जायेंगे।

विद्युत शुल्क का स्लैब 100 यूनिट पर परिवर्तित होता है। रीडिंग की तारीखों के बीच अंतर से इसे न जोड़ते हुए पूर्ववत् प्रथम 100 यूनिट के लिये 9 प्रतिशत की दर से तथा 100 यूनिट से अधिक खपत पर 12 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जायेगा। योजना में परिवर्तन की जानकारी विद्युत नियामक आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा।

ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा 571 लाख का कन्या शिक्षा परिसर लोकार्पित

ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने झाबुआ जिले के विकासखण्ड रामा के ग्राम रोटला में 5 करोड़ 71 लाख रुपये की लागत से बनाए गये, कन्या शिक्षा परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री कांतिलाल भूरिया, क्षेत्रीय विधायक श्री वाल सिंह मेडा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शांति राजेश डामोर सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

ग्राम पंचायतों में हुईं विशेष ग्राम-सभाएँ

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर भोपाल जिले की ग्राम पंचायत ईंटखेड़ी सड़क, तूमड़ा अमरावतकलां, आमला, रातीबड़, अरवलिया, फंदा कलां, रसूलिया पठार, भानपुर की केकड़ियां तथा कामखेड़ा आदि में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

भोपाल जिले में फंदा ब्लाक की ग्राम पंचायत निपानिया जाट में सरपंच श्री गजराज सिंह की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा हुई। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने सामाजिक सद्भाव रैली करने और गोबर तथा कचरे के उचित प्रबंधन का सर्व सम्मत निर्णय लिया।

सरपंच श्री गजराज सिंह ने ग्रामीणों को विशेष ग्राम सभा के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सहमति और भागीदारी से गाँव की

विकास योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

उन्होंने सामाजिक सद्भाव का वातावरण निर्मित करने के लिए गाँव में सद्भावना रैली करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी ने सहमति व्यक्त की। पंचायत सचिव श्री मन्सूर अली ने ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। प्रारंभ में ग्रामीणों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

सीधी में विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने निर्देशित किया है कि जिले के समस्त खराब एवं जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने की कार्यवाही तीन दिवस के अंदर करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि ट्रांसफार्मरों के जलने या खराब होने की स्थिति में तीन दिवस के अंदर उनमें सुधार करने की कार्यवाही की जाये। यदि खराब ट्रांसफार्मर वितरण से जुड़े कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत राशि जमा है तो ऐसी स्थिति में तत्काल ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश हैं। यदि 10 प्रतिशत से कम राशि जमा है तो उपभोक्ताओं को तत्काल सूचित करते हुए शिविर लगायें तथा राशि जमा करने की कार्यवाही कर ट्रांसफार्मर बदलने की कार्यवाही करें। मंत्री श्री पटेल ने उक्त निर्देशों के विषय में उपभोक्ताओं को अवगत कराने तथा उन्हे सहज रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्देशित किया है।

इसके साथ ही पंचायत मंत्री श्री पटेल में आम नागरिकों से विद्युत संबंधी प्राप्त हो रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कृषि फीडर एवं घरेलू फीडर को पृथक करें। लोगों को शासन के निर्देशानुसार पर्याप्त बिजली उपलब्ध करायें। लो-वोल्टेज एवं ट्रिपिंग की ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इन शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। कई आवेदकों द्वारा विद्युतीकरण के बिना ही बिजली का बिल आने, अधिक बिल आने संबंधी शिकायतें निरन्तर प्राप्त होती रहती हैं ऐसी समस्त शिकायतों की जांच कर उनमें सुधार करने की कार्यवाही करें।

प्रदेश में 374 मीट्रिक टन ई-वेस्ट का निष्पादन

प्रदेश में अब तक करीब 374 मीट्रिक टन ई-वेस्ट का वैज्ञानिक पद्धति से निष्पादन किया गया है। यह कार्य 8 कलेक्शन सेन्टर, एक रिसाईक्लर और एक मेन्युफैक्चर के माध्यम से किया जा रहा है। ई-वेस्ट में कम्प्यूटर्स, लैपटाप, टेलीविजन सेट, डीवीडी प्लेयर्स, मोबाइल फोन, सीएफएल आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में ई-वेस्ट प्रबंधन नियम लागू है। इस नियम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट को वैज्ञानिक तकनीक से नष्ट किया जाना है। नियम में प्रत्येक ई-वेस्ट का निष्पादन केवल केन्द्रीय अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत रिसाईक्लर्स के माध्यम से ही किये जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई-वेस्ट निष्पादन के लिये कार्यशालाओं के माध्यम से नवीन वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी नियमित रूप से दी जा रही है। प्रदेश में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन का कार्य वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है। इन अपशिष्टों को 4 श्रेणी में बाँटा गया है। उनके उपचार की विभिन्न पद्धतियाँ जैसे इन्सीरिनेशन, आटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग रासायनिक उपचार, कटिंग, श्रेडिंग तथा भूमि में गहरा गाड़ना आदि विकल्प के रूप में हैं। आबादी वाले क्षेत्रों के चिकित्सालय और निजी नर्सिंग होम के लिये जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम प्रभावशील हैं।

नर्मदा जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग अब पचास स्थानों पर

प्रदेश में नर्मदा नदी को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखने के लिये नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से अलीराजपुर के बीच नदी जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग अब 50 स्थानों पर की जाकर निगरानी रखी जा रही है। यह व्यवस्था इस वर्ष से की गई है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी की जल गुणवत्ता मापने के लिये ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। नर्मदा नदी को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए इसके कैचमेंट एरिया में स्थापित 11 मुख्य जल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा सक्षम दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है। संयंत्रों के लगने से इन सभी उद्योगों में अब शून्य नि:स्राव की स्थिति है।

श्रमिकों के बच्चों से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिये आवेदन आमंत्रित

प्रदेश के बीड़ी, चूना-पत्थर, डोलोमाइट, लौह मैंग्नीज और क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों से प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। ''शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता'' योजना में पात्र छात्र-छात्राएँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल https://scholarships.gov.in/helpdesk-nspgov.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये 31 अक्टूबर, 2019 है।

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की पात्रता, जानकारी, शर्तें आदि प्रदर्शित हैं। राज्य में श्रमिकों के बच्चे ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या के निदान के लिये जबलपुर कार्यालय के दूरभाष क्रमांक-0761-2626021, 2678595, ई-मेल-wc.jabalpur@rediffmail.com, sbd2020@rediffmail.com, सागर स्थित कल्याण प्रशासक कार्यालय के दूरभाष क्रमांक-7582-260675 या इन्दौर में दूरभाष क्रमांक-0731-2703530, ई-मेल-waind@mp.gov.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कलावती आजीविका मिशन से जुड़ी तो दो बार मिला गोपालन पुरस्कार

नरसिंहपुर जिले के चांवरपाठा विकासखंड में वर्षों से परम्परागत तरीके से पशु-पालन और दूध का व्यवसाय करती आ रहीं कलावती पटेल के कारोबार ने अब रफ्तार पकड़ ली है। ऐसा उनके आजीविका मिशन के स्थानीय स्व-सहायता समूह से जुड़ने से हुआ है। आज कलावती के पास 5 गाय-भैंसे हैं। इनसे उन्हें प्रतिदिन 35-40 लीटर दूध मिलता है। कलावती बड़ी आसानी से प्रतिमाह 20 हजार रुपये से अधिक आमदनी प्राप्त कर रही हैं। अधिक दुग्ध उत्पादन के लिये राज्य सरकार से दो बार गोपालन पुरस्कार भी मिला है। गोपालन पुरस्कार योजना में कलावती को 22 हजार और 21 हजार के दो पुरस्कार मिले हैं। कलावती ने पुरस्कार में प्राप्त धन राशि और ऋण राशि को मिलाकर पशु-पालन और दुग्ध व्यवसाय को बढ़ाया।

छात्राओं को 5-एस के लिये प्रेरित शुचिता अभियान

अशोकनगर जिले में स्कूली छात्राओं में स्वास्थ्य संबंधी संकोच को समाप्त करने के लिये ''शुचिता'' (पवित्रता) अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की प्रणेता स्वयं कलेक्टर डॉ. मंजू शर्मा हैं। इन्होंने स्कूली छात्राओं को 5-एस (स्वास्थ्य, स्व-रक्षा, स्वच्छता, स्वाभिमान और स्वावलंबन) के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया है।

पूर्व सरपंच की जिद और ग्रामीणों के जुनून ने बदल दी कुल्हार गांव की तस्वीर

राजधानी से लगभग 120 किमी दूर स्थित गांव में दिखा जल संरक्षण का नायाब तरीका

विदिशा जिले से लगभग 55 किलोमीटर दूर गंजबासौदा तहसील के अंतर्गत आने वाला कुल्हार गांव आज जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली ग्राम पंचायतों में एक अलग पहचान रखता है। दरअसल गांव के पूर्व सरपंच वीरेंद्र मोहन शर्मा की जिद और ग्रामीणों के जुनून ने इस गांव की तस्वीर बदल दी है। कुछ वर्ष पहले तक जहां गांव के लोगों को खेती की सिंचाई के लिए खासी मशक्कत करना होती थी। वहीं, आज गांव का लगभग 70 प्रतिशत रकबा पूरी तरह सिंचाई के दायरे में आता है। ग्रामीणों की जागरूकता और नगर पंचायत की सजगता के कारण गांव के अंदर 20 फीट गहराई वाले छह बड़े-बड़े तालाब तैयार किए गए हैं। इन तलाबों में करीब 60 लाख क्यूबिक फीट पानी जमा होता है। जिनका उपयोग गांव के रहवासी सिंचाई अथवा अन्य उपयोगों में लेते हैं। गांव की बदलती इस तस्वीर की पूरी यात्रा पढ़िए इस खास रिपोर्ट में-

बीना-भोपाल तीसरी रेल लाइन प्रोजेक्ट

गांव की इस तस्वीर को बदलने में मुख्य भूमिका निभाने वाले पूर्व सरपंच वीरेंद्र मोहन शर्मा कहते हैं- वर्ष 2010 से 2016 का समय न सिर्फ मेरे लिए बल्कि गांव के हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि उस समय गांव से बीना-भोपाल की तीसरी रेल लाइन का प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था। इस प्रोजेक्ट का काम देश की बड़ी निर्माण कंपनी एलएनटी को मिला। कंपनी ने काम करना शुरू किया। तभी मैंने देखा कि रेलवे ट्रेक के नीचे उपयोग होने वाली जिस मुरम की आवश्यकता निर्माण कंपनी को थी। वही मुरम हमारे गांव में भरपूर है। मैं अपने दोस्त सुरेंद्र सिंह दांगी के साथ निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट सुपरवाइजर से मिला और उन्हें हमारे गांव में उपलब्ध होने वाली मुरम की जानकारी दी। इसका उद्देश्य केवल इतना था कि कंपनी के लोग चिन्हित

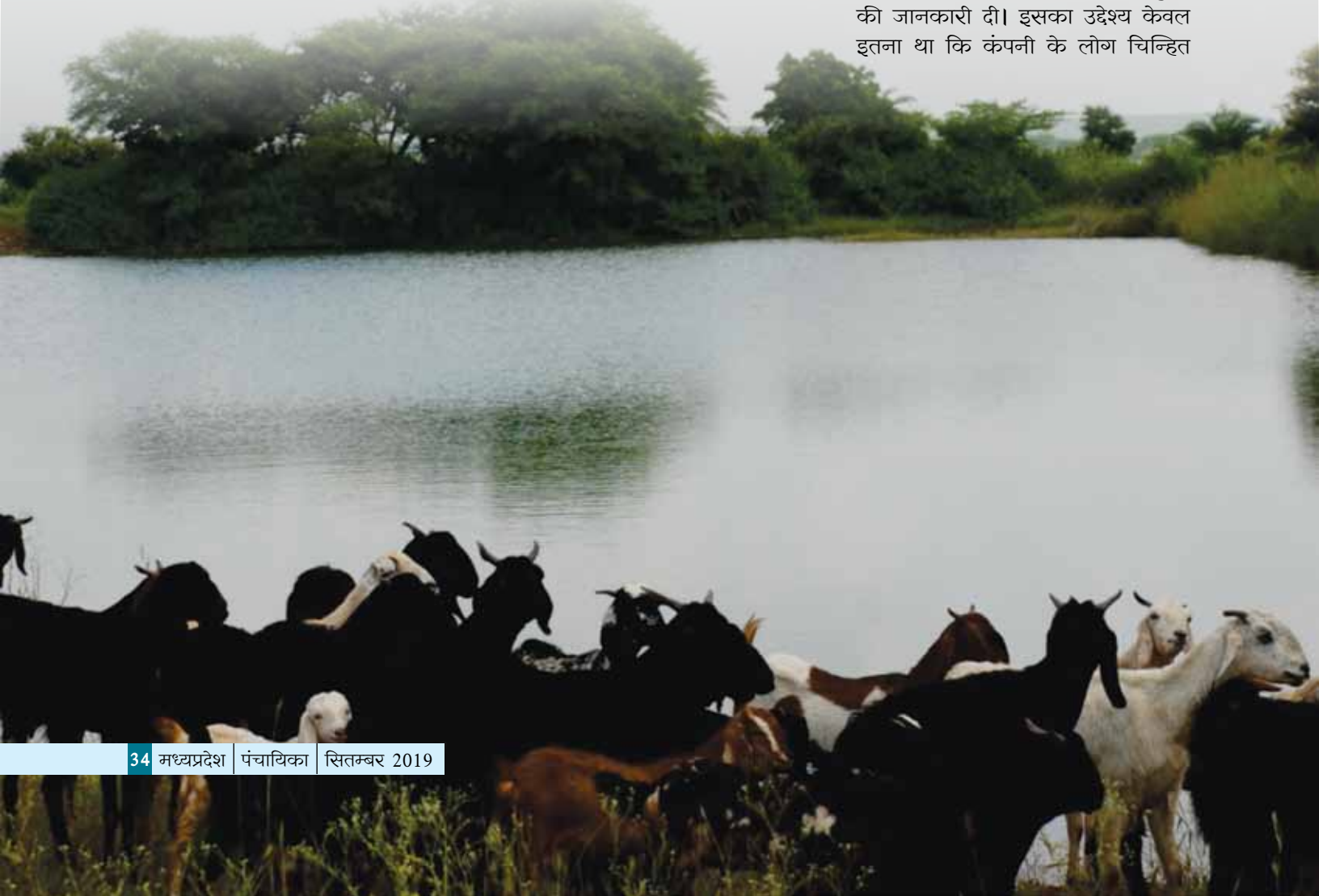

जगहों से उस मुरम को बाहर निकालें ताकि गांव में अलग-अलग जगहों पर जल संरक्षण किया जा सके। निर्माण कंपनी ने मुरम का सेंपल लेकर नेशनल लेवल की प्रयोगशाला में जांच करवाई उसके बाद वहां से हरी झंडी मिलने के बाद उन्होंने गांव से मुरम लेना स्वीकार किया। मैंने गांव की 26 हेक्टेयर जमीन को तत्काल चिन्हित किया और रेन एंड ग्राउंड वॉटर हार्वेस्टिंग लाइन प्रोजेक्ट के तहत काम करना शुरू किया। देखते ही देखते गांव के अंदर छह तालाब तैयार हो गए। इनमें से तीन तालाब तो 9 हजार स्क्वायर फीट के थे, जिनकी गहराई 15 से 20 फीट थी। जिनमें लगभग 60 लाख क्यूबिक फीट पानी संरक्षित होता है। खास बात यह है कि यह तालाब इस तरह से तैयार किए गए हैं कि एक तालाब ओवरफ्लो होने पर स्वत: दूसरे तालाब में पानी बहकर चला जाता है। इन्हीं छह तालाबों से लगभग 750 एकड़ जमीन को सिंचित किया जाता है। इन तालाबों से अब गांव के लोगों को वर्ष में दो बार अलग-अलग फसल के लिए पानी मिल जाता है।

अभी तक यह थी सुविधा

श्री वीरेंद्र ने बताया कि इससे पहले गांव में सिर्फ दो ही नदी क्योटन नदी और चकरा नाला था। क्योटन नदी तो लोगों की एप्रोच से दूर थी। लेकिन चकरा नाला दिसंबर-जनवरी तक हर बार सूख जाता था। इसके बाद गांव के लोगों को पानी के लिए परेशान ही होना पड़ता था। लेकिन जबसे यह तालाब तैयार हुए हैं, लोगों को पानी की समस्या किसी भी प्रकार से नहीं होती।

पौधरोपण से शुरू हुआ था अभियान

वीरेंद्र कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार से राजनीति, चुनाव आदि में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन गांव और परिवार के लोगों ने मुझे 1978 में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए बहुत कहा। उसके बाद मैंने गांव के लोगों की बात मानकर

चुनाव लड़ा और जीता। 1978 से 1994 तक मैं कुल्हार गांव का सरपंच रहा। इस दौरान 1983 में पौधरोपण अभियान चलाया। यह अभियान गांव के पश्चिम दिशा के 14 हेक्टेयर जमीन पर हुआ। जिस पर लोगों का अतिक्रमण था। स्थानीय प्रशासन की मदद से मैंने यह अतिक्रमण हटवाया और वहां पर सामाजिक वानिकी विभाग की मदद से हजारों पौधे लगवाए। पौधे लगाने की पूरी प्रक्रिया सीपीटी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए की गई। उसके बाद पूर्व दिशा में 26 हेक्टेयर जमीन पर पौधे लगाए गए। खास बात यह है कि हमारे द्वारा लगाए गए इन पौधों से ही हमने दो बार 60 हजार रुपये और 3.50 लाख रुपये की लकड़ियां बेचीं।

यहां से समझ आया वृक्षों का महत्व

वीरेंद्र कहते हैं कि अक्टूबर 1981 में कन्याकुमारी घूमने गए। जहां वो विवेकानंद केंद्र रॉक मेमोरियल देखने पहुंचे। उसके बाद वो 21 दिन के योगा कैंप में शामिल हुए। जहां सुंदरलाल बहुगुणा मुख्य रूप से शामिल हुए और उन्होंने प्रोजेक्ट के माध्यम से चिपको आंदोलन के दौरान वृक्षों का महत्व बताया। बस गांव में वृक्षों को लगाने का विजन मुझे वहीं से मिला और मैंने इस प्रोजेक्ट पर प्लानिंग कर काम करना शुरू किया।

● **प्रवीण पाण्डे**

बैतूल रोड रेन मॉडल
जल संरक्षण की सराहनीय पहल

जल संकट आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य सहित पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव-जंतु एवं वनस्पति का जीवन जल पर ही निर्भर है। जल का कोई विकल्प नहीं है, यह प्रकृति से प्राप्त नि:शुल्क उपहार है, परंतु बढ़ती आबादी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और उपलब्ध संसाधनों के प्रति लापरवाही ने मनुष्य के सामने जल का संकट खड़ा कर दिया है।

वर्तमान में जल संकट बहुत गहरा है, आज पानी का मूल्य बदल गया है और जल एक महत्वपूर्ण व मूल्यवान वस्तु में तब्दील हो गया है। आज जल के संरक्षण और संवर्धन की महती आवश्यकता है, जिसमें जनता का सहयोग अपेक्षित है। वर्तमान दौर में जल संकट की निरंतर अभिवृद्धि हो रही है, भूमिगत जल का संतृप्त तल गहराई की ओर खिसकने से परंपरागत जल स्रोत सूख रहे हैं।

वर्षाजल सर्वाधिक शुद्ध जल माना जाता है, ऐसे में हम कुछ उपाय करते हुए इसे संरक्षित और संवर्धित कर भूमिगत जल में वृद्धि कर सकते हैं। जल संरक्षण की दिशा में कई लोग समूह में व अकेले ही कार्य कर रहे हैं उन्हीं एकल कार्यकर्ता में एक उदाहरण है बैतूल के डॉ. अरुण सिंह भदौरिया।

सड़क किनारे खंतियां बना बचायेंगे करोड़ों लीटर वर्षा जल

पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य ने बनाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अनोखा मॉडल

विगत बीस वर्षों से जल संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, बैतूल के प्राचार्य डॉ. अरुण सिंह भदौरिया ने देखा कि प्राय: सड़कों के किनारे बनीं ट्रेंचों से भारी मात्रा में वर्षा जल व्यर्थ में बह जाता है। उन्होंने इस जल को सहेजने के उद्देश्य से कार्य करना प्रारंभ किया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक ऐसी तकनीक विकसित की जिससे एक वर्ष में ही भूजल स्तर में आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। हर साल एक नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने वाले डॉ. भदौरिया सड़क किनारे खंतियाँ खोदकर इसमें बारिश का पानी संरक्षित कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इन खंतियों के जरिये उन्होंने लगभग तीन करोड़ लीटर बारिश का पानी एकत्रित कर उसे भूमिगत किया। डॉ. भदौरिया ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मॉडल तैयार किया है उसे उन्होंने बैतूल रोड रेन मॉडल नाम दिया है। उनका मानना है कि इस मॉडल से पानी की कमी दूर

एम.एल. त्यागी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल, मध्यप्रदेश

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.एल. त्यागी का कहना है कि शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, बैतूल परिसर में भू-जल संवर्धन की संरचनाओं को देखकर मैं अभिभूत रह गया। यहां के प्राचार्य डॉ. अरुण भदौरिया और उनके साथियों ने जो कार्य किये हैं वो प्रशंसनीय और प्रेरणादायी हैं। उनके कार्यों से न केवल परिसर का जल संकट दूर हुआ बल्कि उनके कार्यों से प्रेरित हो कई अन्य स्थानों पर भी जल संवर्धन के कार्य किये गये हैं।

होगी, इसके साथ ही बैतूल का नाम भी रोशन होगा। इस कार्य और मॉडल में जो भी खर्च हुआ है वह डॉ. भदौरिया ने खुद के वेतन से किया है। जल बचाने के उनके जज्बे की कलेक्टर शशांक श्री मिश्र ने न केवल प्रशंसा की, बल्कि उन्होंने खुद भी इसमें रुचि दिखाई।

बूंद-बूंद वर्षा जल बचाने के लिये 56 देशों को भेजा रोड रेन वाटर मॉडल

डॉ. भदौरिया वर्षा जल संरक्षण के अपने इस मॉडल को दुनिया के 56 देशों को भेज चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र की वाटर बॉडी तक भी इस प्रस्ताव को भेजने की तैयारी है। डॉ. भदौरिया के मुताबिक बैतूल जिले में 4,700 किमी सड़क है, यदि इनमें से आधी सड़कों के आस-पास रेन वाटर मॉडल का यह प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाये तो इससे कम से कम 47 अरब लीटर वर्षा जल भूमिगत किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि नई बनने वाली सड़कों पर यह बिना किसी खर्च के तैयार किया जा सकता है।

25 एकड़ परिसर में 28 बोर, पानी नहीं मिला तो भू-जल संवर्धन से बुझाई विद्यार्थियों की प्यास

किसी भी जटिल कार्य को जब नैतिक जिम्मेदारी के बोध से किया जाता है तो वह कार्य बहुत ही सरल बन जाता है। कुछ ऐसा ही कार्य डॉ. अरुण भदौरिया ने किया है। बैतूल के शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर का निर्माण 1996 में किया गया था। 25 एकड़ के परिसर में पेय जल की आपूर्ति के लिये 28 बोर किये गये, लेकिन 800 फीट की गहराई तक किये गये बोर से किसी में पानी नहीं मिला। इस वजह से कॉलेज के विद्यार्थियों और वहां निवास करने वाले लोगों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता था।

जब डॉ. भदौरिया की पदस्थापना इस परिसर में हुई तो उन्होंने पहले इस समस्या को बारीकी से समझा और इसके समाधान में जुट गये। सबसे

डॉ. अरुण भदौरिया, प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, बैतूल

एकला चलो रे के ध्येय वाक्य पर कार्य करने वाले डॉ. भदौरिया एकाकी कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं, उन्होंने सबसे पहले झगड़िया रोड पर लोक निर्माण विभाग से अनुमति लेकर सड़क के दोनों ओर ट्रेंच की खुदाई-सफाई की, फिर निश्चित दूरी पर मेड़ बनवाई। इसके बाद 1200 मीटर तक सड़क किनारे 40 मीटर चौड़ी एवं 40 मीटर लंबी खंतिया खोदी गईं। इन ट्रेंचों में सड़क और आसपास का वर्षा जल संग्रहित होगा। बैतूल-झगड़िया रोड पर बनाई गई 40 जल खंतियों की संरचना में एक करोड़ सैंतीस लाख लीटर वर्षा जल संरक्षित होगा। जबकि नेशनल हाईवे पर 5 खंती के प्रोजेक्ट में एक करोड़ सत्तावन लाख लीटर वर्षा जल संरक्षित होगा। इस प्रकार दो स्थानों पर 2.94 करोड़ लीटर बारिश का पानी एकत्रित हो सकेगा। वहीं नीमपानी से पलासपानी मार्ग पर अभी कार्य जारी है।

पहले उन्होंने अपने साथियों की मदद से परिसर में सघन वृक्षारोपण किया और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा परिसर में ही 60 फीट गहराई के एक कुएं का निर्माण करवाया। जब कुएं से भी पानी नहीं प्राप्त हुआ तो उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर कुएं के आस-पास 2 मीटर गहराई वाले तालाब का निर्माण श्रम साधना से किया।

बारिश का ज्यादा से ज्यादा पानी तालाब में एकत्रित हो सके इसलिये पास के पहाड़ियों के नीचे नाली खुदवाकर उसे तालाब की दिशा में मोड़ दिया, इस प्रयोग से वर्ष भर तालाब भरा रहने लगा। इसके अलावा परिसर में बारिश की बूंद-बूंद को सहेजने के लिये अन्य संरचानाओं का निर्माण भी डॉ. भदौरिया ने करवाया। उनके प्रयासों से परिसर में पानी की समस्या हल हो गई और अब कुएं में वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है।

आने वाली पीढ़ी को मिले सुंदर भविष्य, कार्य के प्रति जुनून ऐसा कि बन गये ट्रेंचमैन

सड़क के दोनों ओर खंतियों का निर्माण डॉ. भदौरिया ने इस जुनून से करवाया कि स्थानीय लोग उन्हें ट्रेंचमैन के नाम से पुकारने लगे हैं। जल संवर्धन के साथ-साथ डॉ. भदौरिया ने वृक्षारोपण, पलाश मार्ग निर्माण (पलाश के वृक्षों का संरक्षण) और ऑटो एम्बुलेंस जैसे कई सामाजिक और प्राकृतिक सरोकार के कार्य किये हैं। डॉ. भदौरिया बताते हैं कि उनके ये कार्य प्रकृति और अपने स्थान का ऋण चुकाने के लिये प्रयास मात्र हैं।

प्रकृति ने हमारे लिये जो किया है ये उसके प्रति कृतज्ञता भर है। आगे बताते हुए वे कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में लगभग 18 टन अनाज खाता है, 25 लाख लीटर पानी का उपयोग करता है और 60 हजार किलो ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इसके अलावा भी प्रकृति से मिलने वाली कई वस्तुओं का उपभोग करता है। ऐसे में हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रकृति हमारी अवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है किन्तु हमारे स्वार्थ की पूर्ति कभी भी नहीं कर सकती। हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि हम कैसे पूर्वज बनने जा रहे हैं? आने वाली पीढ़ियां हमारे बारे में क्या कहेंगी इसकी कल्पना करके देखिये। मेरी यही इच्छा है कि आने वाले भविष्य को एक सुंदर विश्व देखने को मिले।

जल हमारी संपत्ति है। संपत्ति का संरक्षण संवर्धन करना हमारी आर्थिक स्थिति के लिए ही नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। प्रकृति से मिले इस अमूल्य उपहार का संरक्षण करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसका संरक्षण एवं सही उपयोग किया जाना देश-दुनिया के भविष्य के सतत् विकास हेतु आवश्यक है। जब तक जल के महत्व का बोध हम सभी के मन में नहीं होगा तब तक सैद्धान्तिक स्तर पर स्थिति में सुधार संभव नहीं है।

● **रश्मि रंजन**

सड़कों को वृक्षों से हरा भरा कर दिया

अंबुजा की सरपंच हुड़ी बाई ने

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का संकट है। समूचा विश्व पर्यावरण सुधारने में लगा है। विश्व स्तर पर किये जाने वाले कार्य अपनी जगह हैं, लेकिन भारत गांव में बसता है। आधारभूत सुधार तभी संभव है जब इसकी बुनियाद गांवों से हो। मध्यप्रदेश में रतलाम जिले के तत्कालीन कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर के मार्गदर्शन से मनरेगा के तहत गांवों में अनुकरणीय पहल की गई। रतलाम ही नहीं डिंडोरी, अलीराजपुर और झाबुआ में भी पदस्थ रहते हुए श्री बी. चन्द्रशेखर द्वारा वृक्षारोपण के लिये ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। यदि उचित मार्गदर्शन मिले तो परिणाम व्यापक होते हैं। ऐसा ही एक अनुकरणीय उदाहरण है रतलाम जिले की ग्राम पंचायत अंबुजा की सरपंच श्रीमती हुड़ी बाई का।

श्रीमती हुड़ी बाई ने कलेक्टर के दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन से मनरेगा के तहत 3 किलोमीटर लम्बे रास्ते के दोनों ओर पौधे लगाए। ये पौधे अब वृक्ष बन गए हैं। ये वृक्ष गांव की शोभा तो हैं ही, साथ ही पर्यावरण सुधार में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं।

हुड़ी बाई ने बताया कि कलेक्टर साहब ने हमें काम को आगे बढ़ाने की हिम्मत दी और योजना का लाभ दिलाया। साथ में रतलाम जिले के जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री डी.पी. धाकड़, जो इसी पंचायत के हैं, उन्होंने हमें हर कदम पर सहयोग किया। इसीलिए हम यह काम अच्छे से पूरा कर सकें। जिस तरह अंबुजा गांव की सड़कों के दोनों तरफ वृक्षों का आवरण है यदि यह प्रदेश के सभी गांव की सड़कों पर छा जाये तो मध्यप्रदेश का हरा-भरा बनने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण संवर्धन में अभूतपूर्व योगदान हो सकता है। ● **विजय देशमुख**

खटानेकेपुरा गांव की बंजर जमीन को कर दिया हरा भरा

मध्यप्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन को विस्तृत और व्यापक किया जाना इस सरकार की प्राथमिकता है। यदि सही दिशा में समुचित प्रयास हों तो कोई भी परिणाम असंभव नहीं है। यही बात प्रकृति के संवर्धन और विकास पर लागू होती है। प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में महात्मा गांधी नरेगा वाटरशेड परियोजना के तहत किये गये प्रयास से खटानेकेपुरा की बंजर जमीन हरियाली से लहलहा रही है।

क्या हुए प्रयास

मुरैना जिले के खटानेकेपुरा गांव में जिला पंचायत ने मनरेगा वाटरशेड योजना के तहत गांव की बंजर जमीन पर 14 लाख रुपये की लागत से 179.46 मीटर क्षेत्र में तालाब का निर्माण करवाया इससे जल स्तर नीचे जाने की समस्या समाप्त हो गयी और क्षेत्र का जमीनी जल स्तर बढ़ गया।

क्या थी समस्या

खटानेकेपुरा गांव के जीतेन्द्र सिंह, गब्बर, श्री आशाराम, श्री गजेन्द्र और

प्रदेश की कृषि-सखियों ने पंजाब के किसानों को सिखाए जैविक-खेती के गुर

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों में प्रशिक्षित महिलाएँ पंजाब सहित अन्य राज्यों के किसानों को भी जैविक खेती के गुर सिखा रही हैं। मिशन द्वारा स्व-सहायता समूहों की 5 हजार महिलाओं को जैविक खेती और पशु-पालन की नवीन तकनीक सिखाई गई है। इन्हें समूह में सामुदायिक स्रोत व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया गया है। आम बोल-चाल की भाषा में इन्हें कृषि-सखी कहा जाता है।

पिछले जुलाई-अगस्त माह में 20 कृषि-सखियों ने पंजाब के 4 जिलों में किसानों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने भू-नाडेप, वर्मीपिट, मिट्टी परीक्षण, बीज चयन, बीज श्रेणीकरण, फसल चक्र आदि के बारे में समझाया। परम्परागत सामग्री और तकनीकों के विषय में भी वहाँ के किसानों को बताया। कृषि सखियों ने किसानों को उनके गाँव में रहकर ही कृषि-प्रयोग भी करके दिखाए।

सीधी जिले की कृषि सखी लक्ष्मी ताम्रकार, विमलेश यादव, ललिता साहू, पूजा रजक एवं रीवा जिले की निर्मला दुबे ने पंजाब के गुरदासपुर जिले का भ्रमण किया। अनूपपुर जिले की चंपा सिंह, राधा सिंह, यशोदा धनवार, इंद्रवती और शहडोल जिले की ज्ञानवती यादव ने फिरोजपुर जिले का, पन्ना जिले की तुलसी विश्वास, ऋतु अहिरवार, शिवपुरी जिले से ऊषा परिहार, सरोज कुशवाह और शहडोल जिले की रेखा पटेल ने पटियाला जिले का तथा शहडोल जिले की रूही बेगम, ललिता पनिका, माया पटेल, पुष्पा कचेर, गीता केवट ने संगरूर जिले के किसानों को जैविक खेती पद्धति से परिचित कराया।

भारत सरकार ने सराहा

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मध्यप्रदेश आजीविका मिशन की कृषि-सखियों के कार्य की सराहना की है। संयुक्त सचिव सुश्री लीना जौहरी ने समूहों के सदस्यों से नई दिल्ली में मुलाकात की। इससे पहले कृषि-सखियाँ हरियाणा और उत्तरप्रदेश का भ्रमण कर चुकी हैं।

● **अनिल वशिष्ट**

श्री अशोक ने बताया कि हमारे गांव में वर्षा के कुछ समय बाद ही पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाता था। कुएं और हैण्डपम्प सूख जाते थे। पीने के पानी की तलाश में घर की महिलाओं को कई किलोमीटर तक भटकना पड़ता था। फसल की सिंचाई के लिए पानी ही नहीं था। हमारे पशुओं को पीने के लिए भी पानी नहीं रहता था। मजबूरी में गांव के किसान और अन्य लोग अपने पशुओं के साथ पलायन करने लगे थे।

अब क्या है स्थिति

खटानेकेपुरा गांव में तालाब बनने से स्थितियां बदल गयी हैं। गांव में तालाब बनने से भूमि के जल स्तर में सुधार हुआ। इससे कुएं और हैण्डपम्प का जल स्तर बढ़ गया है। अब गांव के कुएं और हैण्डपम्प सूखते नहीं हैं। गांव में वर्ष भर पानी उपलब्ध होता है। तालाब बनने से गांव वालों का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने मिलकर तालाब के आसपास पौधे भी लगाये हैं जो बड़े होकर हरे-भरे हो गए हैं। पौधों के वृक्ष बन जाने से भूमि के कटाव की समस्या समाप्त हो गयी है।

आर्थिक स्थिति हुई बेहतर

तालाब बनने से पानी की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गयी है। खटानेकेपुरा के कुछ किसान तो अपने 30-30 बीघा के खेतों में सरसों, चना और गेहूं की फसल ले रहे हैं। इसके अलावा किसानों ने सब्जियों की खेती भी शुरू कर दी है।

सब्जियों के उत्पादन से जहाँ ग्रामीणों को पौष्टिक सब्जियाँ उपलब्ध हो रही हैं वहीं इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी होती है। एक समय पलायन के लिये विवश खटानेकेपुरा गांव ने समृद्धि की ओर कदम बढ़ा दिये हैं। किसान अपनी फसल और सब्जियों की अतिरिक्त आय से खुश है। अब इस गांव से कोई पलायन नहीं करता।

● **हेमलता हुरमाड़े**

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109] भोपाल, गुरुवार दिनांक 7 मार्च, 2019 - फाल्गुन 16, शक 1940

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च, 2019

क्रमांक एफ-16-4-22-पं.-1-2019.-मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 18 दिनांक 10 जनवरी, 2018 को संशोधित करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले निष्पादन अनुदान (परफॉरमेंस ग्राण्ट) के वितरण हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :-

2. भूमिका - 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015-16 से 2019-20 तक (पांच वर्ष) है। 14वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से मूल अनुदान तथा वर्ष 2016-17 से कार्य निष्पादन अनुदान ग्राम पंचायतों को देने का प्रावधान किया गया है। आयोग के प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 9.70 के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान का 90 प्रतिशत अनुदान मूल अनुदान एवं 10 प्रतिशत अनुदान कार्य निष्पादन के रूप में प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश को ग्राम पंचायतों हेतु मिलने वाले परफॉरमेंस ग्राण्ट की राशि वर्षवार निम्नानुसार है :-

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
परफॉरमेंस ग्राण्ट	-	265.84	300.83	341.63	447.34

3. 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के अंतर्गत मूल अनुदान का वितरण किया जा चुका है। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग अंतर्गत कार्य निष्पादन अनुदान वितरण करने के लिये भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय के पत्र क्रमांक एन-11011/4/2017-एफडी दिनांक 02 जनवरी, 2019 के द्वारा योजना पुनर्निर्धारित की गई है तथा राज्य सरकार से पुनरीक्षित योजना वर्ष 2017-18 से वर्ष 19-20 के लिये अधिसूचित करने की अपेक्षा की गई है। राज्य सरकार तदानुसार कार्य निष्पादन अनुदान वितरण करने के लिये निम्नानुसार दो शर्तों को पूर्ण करने की अनिवार्यत: होगी :-

क्रम संख्या	**अनिवार्य मापदण्ड**
i.	कार्य निष्पादन अनुदान की दावा करने वाले ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे, जो कि उस वर्ष जिसके लिए ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, उससे दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से संबंधित नहीं होंगे।
ii.	कार्य निष्पादन अनुदान की पात्रता हेतु ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपनी स्वयं की आय के राजस्व (OSR) में वृद्धि करनी होगी और यह वृद्धि परीक्षित लेखा के माध्यम से परिलक्षित होना चाहिए।

4. उपरोक्त दोनों शर्तों का पालन करने वाली ग्राम पंचायतें ही 14वें वित्त आयोग अंतर्गत कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी तथा उनका मूल्यांकन निम्नानुसार अंकीय पद्धति (Scoring System) के आधार पर किया जावेगा :-

क्र.	**अर्हता (वित्तीय वर्ष लिया जावे)**	**भार (Weightage)**
i.	वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत के स्वयं के स्रोत के राजस्व की मात्रा में वृद्धि	स्कोर (अंक)

	0 से अधिक 10 प्रतिशत तक	05
	10 से अधिक 25 प्रतिशत तक	10
	25 से अधिक 50 प्रतिशत तक	15
	50 प्रतिशत से अधिक	20
ii.	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में चौदहवें वित्त आयोग अंतर्गत पिछले वर्ष के मूल अनुदान के संदर्भ में स्वयं के स्रोत के राजस्व का प्रतिशत।	स्कोर (अंक)
	0 से अधिक 10 प्रतिशत तक	15
	10 से अधिक 20 प्रतिशत तक	20
	20 से अधिक 30 प्रतिशत तक	30
	30 प्रतिशत से अधिक	40
iii.	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत की खुले में शौचमुक्त (ODF) होने की स्थिति	
	- हां	30
	- नहीं	0
iv.	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत में 0 से 2 वर्ष के शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण (full immunization) होने की स्थिति	
	- हां	10
	- नहीं	0
	कुल पूर्णांक (i+ii+iii+iv)	100

5. ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान वितरण -

ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान का वितरण अंकों के आधार पर अधोलिखित अनुसार किया जावेगा :-

स्कोर (प्राप्तांक)	कार्य निष्पादन अनुदान मात्रा की पात्रता
49 तक	आवंटन का 50 प्रतिशत
50 से 60 तक	आवंटन का 70 प्रतिशत
61 से 70 तक	आवंटन का 80 प्रतिशत
71 एवं अधिक	आवंटन का 100 प्रतिशत

6. वित्तीय वर्ष में चौदहवें वित्त आयोग अंतर्गत कार्य निष्पादन अनुदान आवंटन हेतु मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरण :-
दावा का वित्तीय वर्ष.....

6.1 अनिवार्य शर्तों में पात्रता :

क्र.	मूल्यांकन मानदंड	जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	मानदंड अनुसार पात्रता वाले ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	वित्तीय वर्ष.....हेतु लेखा परीक्षण किये खाते प्रस्तुत (संबंधित दावा वर्ष के दो वर्ष पूर्व से ज्यादा पहले के नहीं)		
2.	वित्तीय वर्ष..... में स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि प्रदर्शित (क्रमांक 1 में दिये लेखा परीक्षण किये खातों अनुसार)		

6.1.1 ग्राम पंचायतों की संख्या जो दो अनिवार्य शर्तें पूरी करते हैं :- .....

6.2 कार्य निष्पादन अनुदान हेतु ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष :- .....

क्र.	मूल्यांकन मानदंड	मानदंड अनुसार पात्रता वाले ग्राम पंचायतों की संख्या
1	स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि (कंडिका 4.1 की सरल क्रमांक 4 अनुसार)	
	0 से अधिक 10 प्रतिशत तक	
	10 से अधिक 25 प्रतिशत तक	
	25 से अधिक 50 प्रतिशत तक	
	50 प्रतिशत से अधिक	
2	वित्तीय वर्ष.....में लेखा परीक्षण अनुसार (कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में चौदहवें वित्त आयोग अंतर्गत पिछले वर्ष के) मूल अनुदान के संबंध में स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि का प्रतिशत	
	0 से अधिक 10 प्रतिशत तक	
	10 अधिक 20 प्रतिशत तक	
	0 से अधिक 30 प्रतिशत तक	
	30 प्रतिशत से अधिक	
3	वित्तीय वर्ष.....में खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) होने की स्थिति (कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित)	
4	वित्तीय वर्ष..... में 0 से 2 वर्ष के शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण (full immunization) की स्थिति (कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित)	

6.3 ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान संवितरण हेतु प्रस्तावित राशि -

क्र.	प्राप्तांक (Score)	ग्राम पंचायतों की संख्या	योजनांतर्गत प्राप्त आवंटन (रु. करोड़ में)	कार्य निष्पादन अनुदान के प्रारंभिक प्रस्तावित आवंटन	अवितरित राशि (4-5)	कुल राशि (रु. करोड़ में) (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	49 तक					
	50 से 60 तक					
	61 से 70 तक					
	71 एवं अधिक					
	योग					

6.4 ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिये दावे प्रपत्र 01 में तैयार कर जनपद पंचायत को संबंधित वर्ष में 30 जून तक प्रस्तुत किये जायेंगे। ऐसे दावों का जनपद पंचायत स्तर पर मूल्यांकन/परीक्षण कर प्रपत्र 02 में जानकारी तैयार किया जाकर जिला पंचायत को संबंधित वर्ष की 15 जुलाई तक तथा जिला पंचायत ऐसी दावों को संकलित कर एवं कंडिका 6, 6.1.1, 6.2 एवं 6.3 में पंचायत राज संचालनालय को 31 जुलाई तक प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त कार्य निष्पादन अनुदान के दावों पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के कार्य निष्पादन अनुदान के प्रस्ताव प्राप्त किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के कार्य निष्पादन अनुदान के दावा 08 मार्च, 2019 तक किये जा सकेंगे। शेष एक वर्ष के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक दावा प्रस्तुत करना होगा।

वित्तीय वर्ष में निर्धारित तिथि पर दावा प्रस्तुत नहीं करने पर या संबंधित ग्राम पंचायत की कार्य निष्पादन की राशि कंडिका-03 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार आवंटन उपरांत अपात्र ग्राम पंचायतों को ना दिये जा पाने वाली राशि के साथ-साथ कोई भी अवितरित (वितरण हेतु शेष) राशि हो, तो वह 50 या अधिक पूर्णांक प्राप्त ग्राम पंचायतों को उनके द्वारा संपूर्ण भार के

परिप्रेक्ष्य में प्राप्तांक के औसत भार के आधार पर पुनः वितरित की जायेगी। साथ ही किसी भी ग्राम पंचायत को दावा वित्तीय वर्ष की कार्य निष्पादन अनुदान की प्रारंभिक एवं अवितरित राशि मिलाकर अधिकतम राशि उसके दावा वित्तीय वर्ष की चौदहवें वित्त आयोग मूल अनुदान में प्राप्त हुई राशि के 5 गुना ही जारी हो सकेगी एवं शेष राशि (यदि हो तो) आवंटित नहीं की जावेगी।

उक्त मापदण्डों के अनुसार किए गए ग्राम पंचायतवार आकलन के आधार पर सभी जिले अपनी प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र पर संचालक, पंचायती राज को प्रस्तुत करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
उर्मिला शुक्ला, उपसचिव

प्रपत्र-1

ग्राम पंचायत का नाम -	
जनगणना 2011 के अनुसार आबादी -	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में)
जनपद पंचायत का नाम -	जिला-
दावा का वित्तीय वर्ष -	
ग्राम पंचायत का खाता क्रमांक -	
बैंक का नाम -	
बैंक का IFSC कोड नम्बर -	

अनिवार्य शर्तें

क्र.	**विवरण**	**जानकारी (हां या नहीं)**	**संलग्न परिशिष्ट**
1	कार्य अनुदान हेतु लेखा परीक्षण का वर्ष.....।		
	उदाहरण स्वरूप किसी ग्राम पंचायत को वर्ष 2017-18 के कार्य निष्पादन अनुदान के लिये वर्ष 2015-16 का परीक्षित लेखा, वर्ष 2018-19 के लिये वर्ष 2016-17 का परीक्षित लेखा तथा वर्ष 2019-20 के लिये वर्ष 2017-18 का परीक्षित लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।		
2	लेखा परीक्षण अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं के स्रोत से राजस्व में वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2017-18 के कार्य निष्पादन अनुदान क्लेम के लिये वर्ष 2015-16 में स्वयं की आय के राजस्व में वृद्धि वर्ष 2014-15 की तुलना में परीक्षित लेखा से प्रमाणित होना चाहिये।		
मूल्यांकन			
क्र.	**विवरण**	**जानकारी**	**स्कोर**
3	वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत के स्वयं के स्रोत के राजस्व की मात्रा में वृद्धि		
4	लेखा परीक्षण के अनुसार कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में 14वें वित्त आयोग अंतर्गत पिछले वर्ष के मूल अनुदान के संबंध में स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि का प्रतिशत		

5	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत की खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) होने की स्थिति (हां अथवा नहीं)		
6	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत में 0 से 02 वर्ष के शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण (immunization) के होने की स्थिति (हां अथवा नहीं)		

यह प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त जानकारी सही है एवं ग्राम पंचायत कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के पश्चात अगले वर्ष खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) रहेगी।

हस्ताक्षर एवं
सील
सचिव
ग्राम पंचायत

हस्ताक्षर एवं
सील
सरपंच
ग्राम पंचायत

प्रपत्र-2

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन की आवंटित राशि	मूल्यांकन के अनुसार कुल प्राप्तांक	कंडिका 5 अनुसार पात्रतानुसार आवंटित राशि का.....प्रतिशत कार्य निष्पादन अनुदान की राशि	शेष राशि (कॉलक क्रमांक 03-05)
1	2	3	4	5	6

(हस्ताक्षर एवं सील)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी.....ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष.....हेतु प्रस्तुत जानकारी के आधार पर समुचित मूल्यांकन उपरांत प्रेषित किया गया है, जो कि योजना हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक.....(राज्य अधिसूचना) अनुसार है।

(हस्ताक्षर एवं सील)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

1148 ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग परफॉरमेंस ग्रांट 2017-18 अंतर्गत राशि जारी

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/पं.रा./FFC/2019/11458 **भोपाल, दिनांक 4.9.2019**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत - आगर मालवा, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, गुना, होशंगाबाद, इन्दौर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, सिंगरौली, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, म.प्र.।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - आगर, बड़ौद, नलखेडा, सुसनेर, पुष्पराजगढ़, अशोकनगर, चंदेरी, बैहर, बालाघाट, बिरसा, खैरलांजी, किरनापुर, लालबर्रा, लांजी, वारासिवनी, आमला, बैतूल, चिचौली, घोड़ाडोंगरी, मुलताई, प्रभातपट्टन, शाहपुर, अटेर, भिण्ड, गोहद, लहार, मेहगांव, रौन, बैरसिया, फंदा, बुरहानपुर, खकनार, अमरवाड़ा, बिछुआ, चौरई, छिंदवाड़ा, हर्रई, जामई, मोहखेड़, पांढुर्णा, परासिया, सौंसर, तामिया, बटियागढ़, दमोह, हटा, जबेरा, पटेरा, पथरिया, तेंदुखेड़ा, भांडेर, बागली, देवास, कन्नौद, खातेगांव, सोनकच्छ, टोंकखुर्द, गंधवानी, मनावर, बलाड़ी, छैगांवमाखन, हरसूद, खालवा, खंडवा, पंधाना, पुनासा, आरोन, बमौरी, चांचौड़ा, गुना, राघोगढ़, बाबई, बनखेड़ी, होशंगाबाद, केसला, पिपरिया, सिवनी मालवा, सोहागपुर, देपालपुर, इन्दौर, महू, सांवेर, झाबुआ, पेटलावद, रामा, रानापुर, थांदला, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, कटनी, भानपुरा, गरोठ, मल्हारगढ़, मंदसौर, सीतामऊ, नरसिंहपुर, जावद, मनासा, नीमच, गुन्नौर, पन्ना, शाहनगर, बाड़ी, बेगमगंज, गैरतगंज, औबेदुल्लागंज, सिलवानी, उदयपुरा, गंगेव, हनुमना, जवा, रायपुर कर्चुलियान, रीवा, सिरमौर, बंडा, बीना, जैसीनगर, केसली, खुरई, मालथौन, राहतगढ़, सागर, शाहगढ़, आष्टा, बुधनी, इछावर, नसरुल्लागंज, सीहोर, छपारा, कान्हापास (घंसौर), केवलारी, सिवनी, कालापीपल, मोमन बड़ोदिया, शाजापुर, शुजालपुर, नरवर, बैढ़न, चितरंगी, देवसर, महिदपुर, उज्जैन, करकेली, मानपुर, सिरोंज, म.प्र.।

विषय :- 1148 ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग परफॉरमेंस ग्रांट 2017-18 अंतर्गत जारी राशि से संपादित किये गये कार्यों की समीक्षा बाबत्।

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 109 दिनांक 07.03.2019 के परिपालन में 14वें वित्त आयोग परफॉरमेंस ग्रांट 2017-18 प्रदेश की 1148 ग्राम पंचायतों को दिनांक 28.08.2019 को सीधे उनके एकल बैंक खाते में जारी की गई है। ''पंचायत दर्पण'' पोर्टल पब्लिक डोमेन में प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्राप्तियों में जारी की गई राशि प्रदर्शित कर दी गई है। इस राशि को मूल अनुदान की भांति ही PriaSoft में Receipt Voucher के रूप में जोड़ते हुए संपूर्ण राशि का व्यय PriaSoft के माध्यम से संपादित करावें।

जारी की गई राशि का उपयोग ''महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना'' के निर्देश क्र. 43A/2018/22/पं.-1 दिनांक 08.03.2019 (संलग्न) अनुसार कड़ाई से सुनिश्चित कराने के साथ ही निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें :-

1. संबंधित ग्राम पंचायत से प्रदाय राशि से कराये जाने वाले कार्यों की कार्य योजना संलग्न प्रारूप में संकलित कर दिनांक 09.09.2019 तक एक प्रति संचालनालय को प्रेषित करें।
2. प्रदाय राशि के विरुद्ध आहरण राशि एवं किये गये कार्य की भौतिक प्रगति की समीक्षा उपयंत्री एवं पी.सी.ओ./क्लस्टर प्रभारी के माध्यम से प्रत्येक 15 दिवस में की जावे।
3. राशि का आहरण कार्य की तकनीकी स्वीकृति के उपरांत ही ग्राम पंचायत द्वारा किया जावे।
4. प्रत्येक निर्माण कार्य का मनरेगा योजना के साथ प्रभावी कन्वर्जेंस सुनिश्चित करें।
5. मनरेगा योजना के समान ही 14वें वित्त आयोग परफॉरमेंस ग्रांट से किये गये कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण भी करावें।
6. ग्राम पंचायत द्वारा आहरित की गई राशि की जानकारी PriaSoft पोर्टल से पब्लिक डोमेन से प्राप्त कर भौतिक सत्यापन किया जावे।
7. राशि के दुरुपयोग अथवा योजना के नियम विरुद्ध कार्य करने की दशा में संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(संदीप यादव)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

पृ. क्रमांक/पं.रा./FFC/2019/11459 **भोपाल, दिनांक 4.09.2019**

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संभागीय आयुक्त, संभाग (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला (समस्त) की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

जिला पंचायत दिनांक 09.09.2019 तक संकलित कर प्रेषित किया जावे

प्रपत्र - 1: 14वां वित्त आयोग परफॉरमेंस ग्रांट 2017-18 अंतर्गत दिनांक 28.08.2019 को ग्राम पंचायतों को जारी राशि से निर्माण कार्यों की कार्य योजना की जानकारी

क्र.	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	14वां वित्त आयोग परफॉरमेंस ग्रांट 2017-18 अंतर्गत जारी राशि रु. में	कार्य योजना का विवरण			
				कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति क्र. एवं दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि रु. में	रिमार्क
	ABC	DEF		A			
				B			
				C			

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - .....

प्रपत्र - 2: 14वां वित्त आयोग परफॉरमेंस ग्रांट 2017-18 अंतर्गत दिनांक 28.08.2019 को ग्राम पंचायतों को जारी राशि से निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग संबंधी जानकारी

क्र.	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	14वां वित्त आयोग परफॉरमेंस ग्रांट 2017-18 अंतर्गत जारी राशि रु. में	संपादित कार्य का विवरण					
				कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि रु. में	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रु. में	आहरण राशि रु. में	मूल्यांकन राशि रु. में	कार्य की स्थिति
	ABC	DEF		A					
				B					
				C					

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - .....

स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय

क्रमांक/11954/अ.मु.स/पं.-1/एफ-1/2526/2019 **भोपाल, दिनांक : 18.09.2019**

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला - समस्त, मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय : स्थानीय निकाय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों के गठन एवं लोक जैव विविधता पंजी के संधारण बाबत्।

संदर्भ : 1. माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09.08.2019 को जारी आदेश (प्रकरण क्रमांक 347/2016 श्री चन्द्रभाल सिंह विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य)।
2. मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का आपको संबोधित पत्र क्रमांक/जैविबो/प्रबंधक (सी. एण्ड डी.)/04/2018-19/2369 दिनांक 29.09.2018।

उपरोक्त विषयांतर्गत राष्ट्रीय हरित न्यायालय (मुख्य ब्रांच) नई दिल्ली द्वारा मुख्य आवेदन क्रमांक ओ.ए. 347/2016-चन्द्रभाल सिंह विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के प्रकरण के संबंध में पारित निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में स्थानीय निकायों में जैवविविधता प्रबंधन समिति के गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। प्रदेश में जैवविविधता प्रबंधन समिति के गठन में राष्ट्रीय हरित न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के मुख्य मुद्दे निम्नानुसार हैं :- 1. जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 41 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय निकाय स्तर पर राज्य में पर्याप्त जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन नहीं हुआ है। 2. मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004 के नियम 22 के प्रावधानों के अंतर्गत लोक जैव विविधता पंजी (People's Biodiversity Register-PBR) का निर्माण, संधारण एवं पुष्टिकरण (Prapare, Maintain & Validate) का कार्य नहीं हुआ है। 3. जैवविविधता अधिनियम का गठन नहीं होने से जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41 (3) के प्रावधानों के अंतर्गत जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के परिप्रेक्ष्य में जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा जैव संसाधन संग्रहण शुल्क प्राप्त नहीं किया जा रहा है। जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41 के प्रावधानों के अंतर्गत जैवविविधता का संरक्षण एवं संवर्धन, जैव संसाधनों से सहबद्ध ज्ञान के उपयोग, जैव संसाधन की पहुंच या संग्रहण के लिये संग्रहण शुल्क प्राप्त करने एवं दस्तावेजीकरण कार्य के संपादन हेतु स्थानीय निकाय जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन समस्त स्थानीय निकायों - जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर तक किया जाना है। इस क्रम में जैवविविधता अधिनियम, 2004 की धारा 22 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 23 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा। जैवविविधता प्रबंधन समिति का कार्यकाल 05 वर्ष है जो कि स्थानीय निकाय के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा। प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन एवं लोक जैवविविधता पंजी निर्माण का कार्य 31.01.2020 के पूर्व पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। यह कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दण्डित किया जाना आदेशित है। प्रदेश में जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय निकाय द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जायेगा एवं समितियों के गठन उपरांत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से समितियों द्वारा लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण किया जायेगा। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रथम चरण में प्रदेश की समस्त जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के स्तर पर दिनांक 15.09.2019 तक एवं द्वितीय चरण में सभी ग्राम पंचायतों के स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन दिनांक 30.10.2019 तक पूर्ण कर सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश जैवविविधता बोर्ड, भोपाल को अवगत कराते हुए पंचायत राज संचालनालय भोपाल को भी अवगत कराने का काष्ट करें। जैवविविधता प्रबंधन समितियों के गठन की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह की 5 तारीख को मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन द्वारा की जावेगी। अतः उपरोक्त निर्देशों के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(गौरी सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग